

पत्रांक- 534/0-116/2024

पत्रांक- 03/18/2024 140

To,

The Registrar,  
National Green Tribunal  
Principal Bench, New Delhi.

**Subject- Factual and Action taken report in compliance of order dated 06.05.2024 in O.A. No. 498/2024 "Shrichand V/s State of U.P. & Ors.**

Respected Sir,

In the above noted case, Hon'ble Tribunal has given direction as below :-

"In this Original Application, the Applicant has raised the grievance against illegally operating Brick Kilns in district Mathura. Submission of counsel for the applicant is that Mathura falls between the NCR and Taj Trapezium Zone (TTZ) and the respondent brick kilns are operating in the densely populated area by using hazardous waste like spent organic, solvent, oily residue, pet coke, filter press cake, plastic rubber, leather waste etc. as fuel and affecting the ambient air quality. Learned counsel for the applicant has also referred to the list of brick kilns against whom the closure orders have been passed filed on page no. 124 of the paper book and has submitted that inspite of the closure order the respondents brick kilns are operating. He has also submitted that the respondent's brick kilns do not have the CTO and they are not following the requisite norms."

In the above case all mention Brick Kiln (i.e. 1-M/S Jai Shri Ram Bricks Industry, Khasra No.-371, Ujhani Bangar, Chhata, Mathura, 2-M/S Shri Gopal Bricks Industry, Khasra No.-357, Ujhani, Chhata, Mathura, 3-M/S Shri Dauji Maharaj Bricks Industry, Khasra No.-258, Ujhani Bangar, Chhata, Mathura, 4- M/S Shri Ganesh Bricks Industry, Khasra No.-716,718, Bukhrari, Chhata, Mathura, 5- M/S Haribaba Bricks Industry (Old Name M/s Ganesh Bricks Industry), Khasra No.- 226, Ench, Chhata, Mathura (Actual Name- Urban Bricks Udhyog), 6- M/S Pari Bricks Industry, Khasra No.-50, Ench, Chhata, Mathura (Actual Name- Pari Bricks Udhyog), 7- M/S Jai Baba Mohan Ram Bricks Udhyog, Khasra No.-218, Ujhani Bangar, Chhata, Mathura, 8- M/S Jai Falari Bricks Udhyog (Old Name- M/S Krishna Bicks Industry), Khasra No.- 215 A, 213, Ench, Chhata, Mathura (Actual Name- Jay Baba Falari), 9- M/S SS Bohre Bricks Industry, Khasra No.-254, Ujhani, Chhata, Mathura (Actual Name & Address- S.S. Bohare Ji Ent Udyog, Khasra No.-245, Ujhani, Chhata, Mathura), 10- M/S Jai Durge Maa Bricks Industry, Khasra No.-621, Bda Bangar, Chhata, Mathura, 11- M/S Madhavdas Bricks Industry, Khasra No.-194, Shajadpur Bangar, Chhata, Mathura, 12- M/S Sai Baba Bricks Industry, Khasra No.-116,117,118, Moghai Bangar, Chhata, Mathura, 13- M/S Pahat Bricks Industry, Khasra No.-28/2, 29/2, Bda Bangar, Chhata, Mathura, 14- M/S Baba Bricks Field, Khasra No.-231, Shernagar Bore, Chhata, Mathura, 15- M/S Kishori Bricks Industry, Khasra No.-262, Shernagar Bangar, Chhata, Mathura, 16- M/S Baba Bricks Field, Khasra No.-66, Bda Bangar, Chhata, Mathura, 17- M/S Bohre ji Bricks Company, Khasra No.-353,170, Bangar, Chhata, Mathura, 18- M/S Shri ji Ent Udhyog, Khasra No.-33, Ujhani Bangar, Chhata, Mathura, 19- M/S Shri Ram Ent Udhyog, Khasra No.-26, Ujhani Bangar, Chhata, Mathura, 20- M/S Patel Ent Udhyog, Khasra No.-122, Rampur Bangar, Chhata, Mathura (Actual Name- Patel Bhatta Company)) are situated in Tehsil-Chhata, District-Mathura, which not falls in TTZ area. Inspection of all brick kiln has been done by this office and it is found that no brick kiln in used hazardous waste like spent organic, solvent, oily residue, pet coke, filter press cake, plastic rubber, leather waste as fuel. Brick kilns are using only biomass as a fuel. Details information in annexed in annexure No.-1. Along with complete inspection report is annexed in Annexure no.-2".

Accordingly a factual Action taken report is being submitted with the present letter for kind perusal and further action in this regard.

Your faithfully,



Regional Officer

Enclosure-As Above.

C.C. :-

1. District Magistrate, Mathura.
2. Member Secretary, UP Pollution Control Board, Lucknow.
3. Chief Environmental Officer (CEO-4), UP Pollution Control Board, Lucknow.
4. Chief Law Officer, UP Pollution Control Board, Lucknow.

Regional Officer

## Status of Brick Kiln Mentioned in O.A. NO.-498/2024

S. NO.	Name of Bricks kiln	Consent Status	Action against Bricks kiln	Remark
1	M/S Jai Shri Ram Bricks Industry, Khasra No.-371, Ujhani Bangar, Chatta, Mathura	Up to 31-07-2029	-	Complied
2	M/S Shri Gopal Bricks Industry, Khasra No.-357, Ujhani, Chatta, Mathura	No	Closure Order Issued as well as EC imposed on dated 31.12.2023 of Rs.10,00,000/-	Not Complied
3	M/S Shri Dauji Maharaj Bricks Industry, Khasra No.-258, Ujhani Bangar, Chatta, Mathura	No	Closure Order Issued as well as EC imposed on dated 31.12.2023 of Rs.2,25,000/-	Not Complied
4	M/S Shri Ganesh Bricks Industry, Khasra No.-716,718, Bukhrari, Chatta, Mathura	No	Closure Order Issued on dated 29.03.2022	Not Complied
5	M/S Haribaba Bricks Industry(Old Name- M/S Ganesh Bricks Industry), Khasra No.- 226, Ench, Chatta, Mathura (Actual Name- Urban Bricks Udhyog)	Up to 31-07-2029	-	Complied
6	M/S Pari Bricks Industry, KhasraNo.-50, Ench, Chatta, Mathura (Actual Name- Pari Bricks Udhyog)	No	Closure Order Issued on dated 29.03.2022	Brick kiln is self closed by last 2 year
7	M/S Jai Baba Mohan Ram Bricks Udhyog, KhasraNo.-218, Ujhani Bangar, Chatta, Mathura	No	Closure Order Issued as well as EC imposed on dated 31.12.2023 of Rs.10,00,000/-	Not Complied
8	M/S Jai Falari Bricks Udhyog (Old Name- M/S Krishna Bicks Industry), KhasraNo.- 215 A, 213, Ench, Chatta, Mathura (Actual Name- Jay Baba Falari)	No	Closure Order Issued on dated 29.03.2022	Not Complied

A.B.B.

R.D.

**Status of Brick Kiln Mentioned in O.A. NO.-498/2024**

S. NO.	Name of Bricks kiln	Consent Status	Action against Bricks kiln	Remark
9	M/S SS Bohre Bricks Industry, KhasraNo.-254, Ujhani, Chatta, Mathura (Actual Name & Address- S.S. Bohare Ji Ent Udyog, Khasra No.-245, Ujhani, Chhata, Mathura)	No	Closure Order Issued on dated 28.02.2021	Not Complied
10	M/S Jai Durge Maa Bricks Industry, KhasraNo.-621, Bda Bangar, Chatta, Mathura	No	Closure Order Issued by HO. EC issued on dated 31.12.2023 of Rs.6,37,500/-	Not Complied
11	M/S Madhavdas Bricks Industry, KhasraNo.-194, Shajadpur Bangar, Chatta, Mathura	No	Closure Order Issued by HO.EC issued on dated 31.12.2023 of Rs.2,25,000/-	Not Complied
12	M/S Sai Baba Bricks Industry, KhasraNo.-116,117,118, Moghai Bangar, Chatta, Mathura	No	Closure Order Issued by HO. EC issued on dated 31.12.2023 of Rs.6,75,500/-	Not Complied
13	M/S Pahat Bricks Industry, KhasraNo.-28/2, 29/2, Bda Bangar, Chatta, Mathura	No	Closure Order Issued by HO. EC issued on dated 31.12.2023 of Rs.6,75,000/-	Not Complied
14	M/S Baba Bricks Field, KhasraNo.-231, Shernagar Bore, Chatta, Mathura	Up to 31-07-2029	-	Complied
15	M/S Kishori Bricks Industry, KhasraNo.-262, Shernagar Bangar, Chatta, Mathura	No	Closure Order Issued as well as. EC imposed on dated 31.12.2023 of Rs.4,00,000/-	Not Complied
16	M/S Baba Bricks Field, KhasraNo.-66, Bda Bangar, Chatta, Mathura	Up to 31-07-2029	-	Complied
17	M/S Bohre ji Bricks Company, KhasraNo.-353,170, Bangar, Chatta, Mathura	No	Closure Order Issued as well as. EC imposed on dated 31.12.2023 of Rs.10,00,000/-	Not Complied

*MAA*

*P.O.*

**Status of Brick Kiln Mentioned in O.A. NO.-498/2024**

S. NO.	Name of Bricks kiln	Consent Status	Action against Bricks kiln	Remark
18	M/S Shri ji Ent Udhyog, KhasraNo.-33, Ujhyan Bangar, Chatta, Mathura	Up to 31-07-2029	-	Complied
19	M/S Shri Ram Ent Udhyog, KhasraNo.-26, Ujhyan Bangar, Chatta, Mathura	Up to 31-07-2029	-	Complied
20	M/S Patel Ent Udhyog, KhasraNo.- 122, Rampur Bangar, Chatta, Mathura( Actual Name- Patel Bhatta Company)	Up to 31-07-2029	-	Complied



A  
E  
E



R. D.

मै0 जय श्री राम ईट उद्योग, खसरा सं0-371 ग्राम- उझयानी बांगर, तहसील- छाता, जनपद-मथुरा की अद्यतन निरीक्षण आख्या।

मा0 राष्ट्रीय हिरत अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-498/2024 "श्रीचन्द बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य" में पारित आदेश दिनांक 06-05-2024 के अनुपालन में संदर्भित ईट भट्टे का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 31-07-2024 को किया गया। निरीक्षण के समय भट्टा सीजन ऑफ होने के कारण बन्द पाया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा प्रतिनिधि के रूप में श्री रणधीर पार्टनर उपस्थित थे। आख्या निम्नवत् है-

1. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट उद्योग मै0 जय श्री राम ईट उद्योग, खसरा सं0- 371, ग्राम- उझानी बांगर, तहसील- छाता, जनपद-मथुरा के नाम से वर्ष-17.12.2013 से स्थापित है।
2. सन्दर्भित ईट भट्टे के जियो कोर्डिनेट अक्षांश- 27.800647 एवं देशांतर- 77.580397 है।
3. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्टे को कार्यालय के पत्रांक-1147/एन0ओ0सी0-825/2013 दिनांक-17.12.2013 द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से नवीन ईट भट्टे की स्थापना हेतु सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।
4. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्टे को राज्य बोर्ड के पत्रांक- 212255/UPPCB/MATHURA(UPPCBRO)/CTO/both/MATHURA/2024 दिनांक-03.07.2024 द्वारा सशर्त सहमति जल एवं वायु अवधि- 31.07.2029 तक निर्गत है। भट्टे की ईट उत्पादन क्षमता 20000 ईट प्रतिदिन की है।
5. उक्त ईट भट्टा जिग-जैग पद्धति पर स्थापित है। संदर्भित ईट भट्टे पर लगभग 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है जोकि निर्धारित मानको के अनुरूप है। निरीक्षण के समय ईट भट्टे पर ईंधन के रूप में बायोमांस (तूरी) एकत्रित पायी गयी।
6. ईट भट्टे पर गाडियो के आवागमन से जनित धूल के रोकथाम के लिये पानी के छिड़काव हेतु पानी के टैंकर्स की व्यवस्था की गयी है।
7. ईट भट्टे में स्थापित चिमनी पर वायु अनुश्रवण हेतु पोर्टहॉल, प्लेटफार्म एवं सीढ़ी स्थापित है।
8. ईट भट्टे से जनित लगभग एक के0एल0डी0 घरेलू उत्प्रावह के शुद्धिकरण के हेतु सेप्टिक टैंक/सोकपिट स्थापित किया गया।
9. ईट भट्टे के परिसर में धूल को कम करने हेतु कुछ जगहो पर ईट के टुकडे को फर्श पर कच्चे रोड को पक्के रोड में परिवर्तित किया गया है। ईट भट्टे के चारों ओर वृक्षारोपण का कार्य भी पाया गया।

निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

  
(शैलेश मौर्य)  
अनुश्रवण सहायक

  
(चंद्रशेखर)  
सहा0 पर्या0 अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी





### Uttar Pradesh Pollution Control Board

Building. No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

Phone:0522-272082&2720831, Fax:0522-2720764, Email: info@uppcb.in, Website: www.uppcb.com

212255/UPPCB/Mathura(UPPCBRO)/CTO/both/MATHURA/2024

Date: 03/07/2024

To,

M/s

M/S JAI SHRI RAM BRICKS UDYOG

KHASRA NO. 371, UJHANI BANGAR,  
CHHATA,MATHURA,MATHURA,MATHURA,

Application Id-  
26676568

Consolidated Consent to Operate and Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) (Fresh) under Section-25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and under Section-21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981

CCA is hereby granted to M/S JAI SHRI RAM BRICKS UDYOG located at KHASRA NO. 371, UJHANI BANGAR, CHHATA,MATHURA,MATHURA,MATHURA, subject to the provisions of the Water Act, Air Act and the orders that may be made further and subject to following terms and conditions :-

1. This CCA M/S JAI SHRI RAM BRICKS UDYOG granted for the period from 04/06/2024 to 31/07/2029 and valid for manufacturing of following products.

S No	Product	Quantity	Unit
1	Brick-20000 Pcs/day	20000	Numbers/Day

2. Conditions under Water(Prevention and Control of Pollution) Act -1974 as amended :-

(i) The daily quantity of effluent discharge (KLD) :-

Kind of Effluent	Quantity(KLD)	Treatment facility	Discharge point
Domestic	1.0 KLD	Septic Tank	

(ii) Trade Effluent Treatment and Disposal :-The applicant shall operate Effluent Treatment Plant consisting of primary/secondary and tertiary treatment as is required with reference to influent quantity and quality.

In case of stoppage of functioning of ETP, production has to be stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately.

(iii) The treated effluent shall be recycled to the maximum extent and should be reused within the premises for gardening etc. Quality of the treated effluent shall meet to the following general and specific standards as prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986 and applicable to the unit from time-to-time :-

#### Industrial Effluent Quality Standard

S.No.	Parameter	Standard
-------	-----------	----------

(iv) Sewage Treatment and Disposal :- The applicant shall provide comprehensive STP as is required with reference to influent quantity and quality. In case of stoppage of functioning of STP, production has to be stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately.

(v) The treated sewage shall be reused in gardening as far as possible. The STP shall be maintained continuously so as to achieve the quality of the treated sewage to the following standards.

S No.	Parameters	Standards
1	pH	6.5 to 8.5
2	BOD (mg/L)	30 mg/l
3	TSS (mg/L)	100 mg/l

### 3. Conditions under Air (Prevention and Control of Pollution) Act -1981 as amended :-

i) The applicant shall use following fuel and install a comprehensive control system consisting of control equipment as required with reference to generation of emissions and operate and maintain the same continuously so as to achieve the level of pollutants to the following standards.

#### Air Pollution Source Details

S No.	Air Pollution Source	Type of fuel	Stack no	Control Device	Height of Stack
1	Brick Kiln	Wood/Toori /Coal	1	Particulate Matter	30 Meter above G.L.

#### Emission Quality Standards

S No.	Stack no	Parameters	Standards
1	1	Particulate Matter	As per norms

In case of stoppage of functioning of air pollution control equipment, production has to be stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately

(ii) The unit will not use any type of restricted fuel.

iii) Noise from the D.G. Set and other source(s) should be controlled by providing an acoustic enclosure as is required for meeting the ambient noise standards for night and day time as prescribed for respective areas/zones (Industrial, Commercial, Residential, Silence) which are as follows :-

Day time : from 6.00 a.m. to 10.00 p.m., Night time: from 10.00 p.m. to 6.00 a.m.

Standards for Noise level in db(A) Leq	Industrial Area		Commercial Area		Residential Area		Silence Zone	
	Day Time	Night Time	Day Time	Night Time	Day Time	Night Time	Day Time	Night Time
	75	70	65	55	55	45	50	40

### 4. Essential documents to be submitted by the Industry/Unit as Applicable :-

(i) Environment Statement in Form-V of Environment (Protection) Rules, 1986.

(ii) Quarterly compliance report of the CCA, photograph of ETP/APCs/Waste Storage Area.

5. Competent Authority reserves the right to change/modify/add any time any condition of this CCA.

6. Unit has to comply with the following specific & general conditions. Non compliance of any provision of this CCA and provisions of the Water Act, Air Act and Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 will result in legal action under the aforesaid Acts and Rules.

7. In compliance to the G.O 1011/81-7-2021-09 (Writ)/2016 dated.13.10.2021 issued by Department of Environment, Forest and Climate Change, Uttar Pradesh. You are directed to develop Miyawaki Forest as per the SOP available at URL:-<http://www.upecp.in/TrainingSession.aspx> for ensuring timely compliance of

In this direction, you are hereby directed to submit a bank guarantee with minimum validity of one year of the amount equivalent to the sum of initial consent fees (Air and Water) or Rs. 50,000/- (Rs. Fifty Thousand Only) whichever is more, within 30 days from the date of issuance of this certificate. In case of non-compliance of this direction, your consent will be revoked by the Board.

8. If the unit uses the ground water and requires the permission from SGWA/CGWA for water abstraction then the industry will have to obtain No objection certificate for abstraction of ground water. It will be the responsibility of the industry to comply with the various conditions of the NOC obtained from the competent authority and submit to the Board, within 3 months time failing which CTO will be revoked.

#### **General Conditions:-**

1. The applicant shall get analysed the samples of effluent/emission/hazardous wastes at least once in a three month from the laboratory recognized by the MoEF and shall report to the UPPCB.
2. The applicant shall however, not without the prior consent of the Board bring into use any new or altered outlet for the discharge of effluent or gases emission or sewage waste from the unit.
3. Treated Industrial waste water and domestic waste water shall be disposed jointly at one disposal point. The applicant shall provide discharge measurement equipment at final disposal point.
4. The applicant shall strictly comply with conditions of this CCA and submit compliance report of stipulated conditions within 30 days of receipt of this CCA. If at any point of time, it is found that the industry is not complying with stipulated conditions or any further direction/instruction issued by the Board, legal action shall be initiated against the applicant.
5. The applicant shall maintain good house keeping. All valves/pipes/sewer/drains etc. must be leak-proof
6. The industry shall provide uninterrupted entry to the STP/ETP inlet and outlet points, Air Pollution Control equipment and stack for smooth sampling/monitoring of efficiency of pollution control systems.
7. The industry shall provide Inspection Book at the time of inspection to the Board's officials.
8. Whenever due to any accident or other unforeseen act or event, such emission occurs or is apprehended to occur in excess of standards laid down, such information shall be reported to the Board's offices and all other concerned offices. In case of failure of pollution control equipment, the production process connected to it shall be stopped with immediate effect.
9. The industry shall operate in a manner so that all emissions be emitted through designated chimney/stack only.
10. In case of any damage to the agriculture productivity, human habitation etc. by the operation of industry, it shall be imperative to stop production in the industry with immediate effect and such information shall be reported to Board's offices. The industry shall be liable to pay compensation also in such cases as decided by the Competent Authority.
11. The applicant shall apply before the 60 days of expiry of CCA or any change in production types/production capacity/manufacturing process/capacity enhancement etc. or any change in effluent discharge point or emission point
12. The Board reserves the right to revoke/add/modify any stipulated condition issued along with CCA, as may be necessary.

#### **Specific Conditions:-**

1. The Brick kiln shall comply with all conditions mandated in Environmental Clearance issued by District Environment Impact Assessment Authority (DEIAA)/SEIAA. Validity of this consent shall be void if Environmental Clearance's validity lapses as this consent are being given in view of same.
2. Entire moving area around the Brick kiln should be paved with the bricks to minimize the fugitive dust emission from Brick kiln operations
3. Brick kiln shall install/maintain flue gas monitoring platform/port hole/ladder attached to stack at all times.

4. Brick kiln shall submit quarterly monitoring report of stack and ambient air quality from a certified/approved/NABL accredited Laboratory.
5. Brick kiln shall use good quality pulverized coal only for firing. This consent shall be deemed void if any unauthorized/restricted fuel like rubber/scrap/tyre/ oily residue/ pet coke/ plastic/ leather cutting etc. is used.
6. Brick kiln shall ensure adequate plantation of trees/shrubs and maintain green belt along with proper system for water sprinkling within its premises.
7. Brick Kiln shall comply with Solid Waste Management Rules, 2016 and Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016.
8. Brick Kiln shall submit Environmental Statement in prescribed form as per Rule 14 of Environment (Protection) Act, 1986.
9. This consent is valid only for products and quantity mentioned above. Brick kiln shall obtain prior approval before making any modification in product/process/fuel failing which consent would be deemed void.
10. Brick kiln shall not operate D.G set without acoustic enclosure.
11. Kiln shall abide by directions given by Hon'ble Supreme Court, Hon'ble High Court, National Green Tribunal, Environment Pollution (Prevention and Control) Authority, Central Pollution Control Board, TTZA and Uttar Pradesh Pollution Control Board for protection and safeguard of environment from time to time.
12. Brick kiln shall provide permission to this office issued by Zila Panchayat, GST and Mining Department within three month from date of issue of this consent to operate.
13. Brick Kiln shall be operated in such a manner that ambient air quality should not be adversely affected.
14. The brick kiln should installed lightning arrestor as per the PWD norms or any other standard design for brick kiln to avoid the damage to stack caused due to lightning attack.
15. Compliance report of this consent order must be sent to this office within two months.
16. Ash content should be used for low lying land filling in a scientific manner.
17. The brick kiln must ensure full compliance of prescribed emission standards as notified by Ministry of Environment and forest, Govt. of India via serial No. 74 of Schedule I in notification no. GSR 543(E) Dated 22.07.2009 issued under Environment (Protection) Rules. 1986 and as Amended.
18. The brick kiln should regularly maintain Air Pollution Control System (APCS) so that it meet stipulated standards.
19. The brick kiln shall be comply the conditions regarding fly ash utilization notified by MOEF & CC Govt.of India from time to time.
20. The Brick Kiln shall be converted as per jig-jack technology before next season.
21. Brick Kiln shall be used at list 20% bio briquette as a fuel as per availability Order given by Hon'ble N.G.T. in case O.A. No. 118/2013 Vikrant Kumar Tongad Vs Environment (Prevention and control of Pollution) Authority and others
22. The industry shall meet the following National Ambient Air Quality standards in respect of Noise.  
Day time (6 AM to 10 PM) - 75 dB (A)  
Night time (10 PM to 6 AM) - 70 dB (A)
23. Brick Kiln is liable to pay compensation for any environmental damage caused by it, as fixed by the Hon'ble Supreme Court, High Court, National Green Tribunal, Central Pollution Control Board and Uttar Pradesh Pollution Control Board.
24. The applicant shall make an application along with prescribed fee for grant of renewal of consent at least 30 days before the date of expiry of this consent.
25. Any amendments/revisions made by the Board/CPCB/MOEF in the APCS/emission/stack height standards shall be applicable to the Brick Kiln from the date of such amendments/revisions.
26. The Brick kiln will submit revised lease deed one month prior to the expiry of the same. If the brick kiln fails to submit the revised/extended lease deed one month prior to the expiry of the same, then the earlier

consent fee deposited by the Brick Kiln will stand forfeited and the brick kiln will have to apply fresh consent along with the requisite consent fee.

27. The brick kiln will not start any mining activity viz-a viz the operation of this brick kiln is concerned, without obtaining Environmental Clearance from the Competent Authority prescribed for said purpose. The Brick kiln will obtain Environmental Clearance under EIA notification for mining of brick clay to be used as raw material for the manufacture of Bricks.

28. The Board reserves its right to modify above conditions or stipulate any additional conditions including revocation of this order, in the interest of environment protection.

29. Ensure the compliance of O.A. No.-93/2021 Mukesh Kumar Aggarwal V/s. Central Pollution Control Board dated-09-05-2022.

30. Ensure the compliance of notification of MOEF dated-22.02.2022.

31. Ensure the compliance of Hon'ble Supreme Court, High Court & NGT given time to time.

32. Ensure to compliance of CPCB direction given time to time.

33. As per the notification of MOEF Govt. of India dated 22.02.2022 the aforesaid brick kiln should be converted in Zig-Zag/Endused draft/Natural draft before next season of operation of Brick Kiln i.e. (Up to February-2024). failing which this CTO deem to be void automatically without prior notice

34. As per Hon'ble NGT Order operation of Brick Kilns shall be allowed from March to June only.

35. The Brick Kiln must produce bricks as per CTO permission only.

36. The moving area around the main Brick Kiln must be paved.

37. There should be arrangement for water sprinkling on earthen surface inside the premises of Brick Kiln unit, moving area during operational hours to prevent dust emission.

38. The Brick Kiln operators should develop a buffer zone cover along the periphery to arrest fugitive particulate matter from spreading out.

39. The Brick Kiln must be covered permissible agriculture fuel.

40. The Brick Kiln should be fixed a display board with all the details at the entrance of the unit.

41. Not with standing anything contained in this conditional letter or consent, the Board hereby reserves the right and powers under Section 27(2) of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and its amendments thereof and under Section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and its amendments thereof to review any and/or all the conditions imposed herein above and to make such variations as deemed fit for the purpose of the Acts by the Board.

42. This CTO is valid for only approval production capacity 20000 BRICK/DAY

43. In case of failure to comply with any of the consent conditions, the consent order issue to you stands automatically revoked without any notice on this behalf.

**Pankaj** Digitally signed  
by Pankaj Yadav  
Date: 2024.07.03  
18:03:05 +05'30'  
**Yadav**  
**Regional Officer**  
**Mathura**

Copy to:

Chief Environmental Officer (Circle-4), U.P. Pollution Control Board, Lucknow

**Pankaj** Digitally signed  
by Pankaj Yadav  
Date: 2024.07.03  
18:03:21 +05'30'  
**Yadav**  
**Regional Officer**  
**Mathura**

मै0 श्री गोपाल जी ब्रिक्स उद्योग, खसरा सं0-357 ग्राम- उझानी, तहसील- छाता, जनपद-मथुरा की अद्यतन निरीक्षण आख्या।

मा0 राष्ट्रीय हिरत अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-498/2024 "श्रीचन्द बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य" में पारित आदेश दिनांक 06-05-2024 के अनुपालन में संदर्भित ईट भट्टे का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 31-07-2024 को किया गया। निरीक्षण के समय भट्टे का संचालन बन्द पाया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा प्रतिनिधि के रूप में श्री रवि बोहरे उपस्थित थे। आख्या निम्नवत् है-

1. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट उद्योग मै0 श्री गोपाल जी ब्रिक्स उद्योग, खसरा सं0-357 ग्राम-उझानी, तहसील- छाता, जनपद-मथुरा के नाम से वर्ष-2019 से स्थापित है।
2. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्टे को कार्यालय के पत्रांक-69068/UPPCB/MATHURA(UPPCBRO)/CTE/MATHURA/2019 दिनांक-14.12.2019 द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से नवीन ईट भट्टे की स्थापना हेतु सशर्त अनापति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।
3. सन्दर्भित ईट भट्टे के जियो कोर्डिनेट अक्षांश- 27.809481 एवं देशांतर- 77.585051 है।
4. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्टे को राज्य बोर्ड के द्वारा दिनांक-09.09.2020 से 31-07-2022 तक सशर्त सहमति जल एवं वायु अवधि- 31.07.2028 तक निर्गत है।
5. सशर्त सहमति वायु कि शर्त संख्या 9 एवं विशिष्ट शर्त की बिन्दु संख्या 4 व 8 का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण कार्यालय की पत्र संख्या 126/एस0487/2022 दिनांक 26-02-2022 द्वारा निर्गत सहमति जल/वायु को निरस्त किया गया है।
6. तदोपरान्त बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0-72039/सी-4/ईट-787/बन्दी आदेश/2022 दिनांक 28.02.2022 द्वारा उक्त ईट भट्टे को बन्दी आदेश जारी किया गया है।
7. उक्त ईट भट्टा को बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 10,00,000/- अधिरोपित की गयी है। जिसे मू- राजस्व की भौति बसूली किये जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय को पत्र प्रेषित किया गया है।
8. निरीक्षण के समय ईट भट्टा के प्रतिनिधि को यह निर्देशित किया गया कि ईट भट्टे का संचालन बिना सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये बगैर नहीं किया जाये।
9. उक्त ईट भट्टा जिग-जैग पद्धति पर स्थापित है। संदर्भित ईट भट्टे पर लगभग 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है जोकि निर्धारित मानको के अनुरूप है। निरीक्षण के समय ईट भट्टे पर किसी भी प्रकार का ईंधन एकत्रित नहीं पाया गया।
10. ईट भट्टे पर गाडियो के आवागमन से जनित धूल के रोकथाम के लिये पानी के छिड़काव हेतु पानी के टैंकर्स की व्यवस्था की गयी है।
11. ईट भट्टे में स्थापित चिमनी पर वायु अनुश्रवण हेतु पोर्टहॉल, प्लेटफार्म एवं सीढ़ी स्थापित है।
12. ईट भट्टे से जनित लगभग एक कें0एल0डी0 घरेलू उत्प्रवाह के शुद्धिकरण के हेतु सेप्टिक टैंक/सोकपिट स्थापित किया गया।

निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


  
(शैलशा मोर्य)

अनुश्रवण सहायक

  
(चंद्रशेखर)

सहा0 पर्या0 अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी



मै0 श्री दाऊजी महाराज ब्रिक इण्डस्ट्री (वास्तविक नाम मै0 दाऊजी महाराज ईट उद्योग), खसरा सं0-258, उझानी बांगर, तहसील-छाता, मथुरा की अद्यतन निरीक्षण आख्या।

3

मा0 राष्ट्रीय हिरत अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-498/2024 "श्रीचन्द बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य" में पारित आदेश दिनांक 06-05-2024 के अनुपालन में संदर्भित ईट भट्टे का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 31-07-2024 को किया गया। निरीक्षण के समय भट्टे का संचालन बन्द पाया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा प्रतिनिधि के रूप में श्री ब्रजमान उपस्थित थे। आख्या निम्नवत् है-

1. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट उद्योग मै0 श्री दाऊजी महाराज ब्रिक इण्डस्ट्री (वास्तविक नाम मै0 दाऊजी महाराज ईट उद्योग), खसरा सं0-258, उझानी बांगर, तहसील-छाता, मथुरा में वर्ष 2020 से स्थापित है।
2. सन्दर्भित ईट भट्टे के जियो कोर्डिनेट अक्षांश-27.809839 एवं देशांतर-77.573854 है।
3. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्टे को कार्यालय के पत्रांक-130764/UPPCB/MATHURA(UPPCBRO)/CTE/MATHURA/2021 दिनांक-27.07.2021 द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से नवीन ईट भट्टे की स्थापना हेतु सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।
4. उक्त ईट भट्टा द्वारा उ0प्र0 ईट भट्टा (स्थापना हेतु स्थल मापदंड) नियमावली 2012 का अनुपालन नहीं किया गया है।
5. तदोपरान्त बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0-एच728612/सी-4/ईट-839/बन्दी/2022 दिनांक 15.03.2022 द्वारा उक्त ईट भट्टे को बन्दी आदेश जारी किया गया है।
6. उक्त ईट भट्टा को बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 2,25,000/- अधिरोपित की गयी है, जिसे भू-राजस्व की भाँति वसूली किये जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय को पत्र प्रेषित किया गया है।
7. निरीक्षण के समय ईट भट्टा के प्रतिनिधि को यह निर्देशित किया गया कि ईट भट्टे का संचालन बिना सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये बगैर नहीं किया जाये।
8. उक्त ईट भट्टा जिग-जैग पद्धति पर स्थापित है। संदर्भित ईट भट्टे पर लगभग 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है जोकि निर्धारित मानको के अनुरूप है। निरीक्षण के समय ईट भट्टे पर किसी भी प्रकार का ईंधन एकत्रित नहीं पाया गया।
9. ईट भट्टे पर गाड़ियों के आवागमन से जनित धूल के शोकथाम के लिये पानी के छिड़काव हेतु पानी के टैंकर्स की व्यवस्था की गयी है।
10. ईट भट्टे में स्थापित चिमनी पर वायु अनुश्रवण हेतु पोर्टहॉल, प्लेटफार्म एवं सीढ़ी स्थापित है।
11. ईट भट्टे से जनित लगभग एक के0एल0डी0 घरेलू उत्सवाह के शुद्धिकरण के हेतु सेप्टिक टैंक/सोकपिट स्थापित किया गया।

निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

*Shreshth*  
(शैलेश मौर्य)

अनुश्रवण सहायक

*Chandreshwar*  
(चंद्रशेखर)

सहा0 पर्या0 अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी

*[Signature]*

मै0 श्री गणेश ब्रिक्स इण्डस्ट्री, खसरा सं0-716, 718 ग्राम- बुखरारी, तहसील- छाता, जनपद-मथुरा की अद्यतन निरीक्षण आख्या।

मा0 राष्ट्रीय हिरत अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-498/2024 'श्रीचन्द बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य' में पारित आदेश दिनांक 06-05-2024 के अनुपालन में संदर्भित ईट भट्टे का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 31-07-2024 को किया गया। निरीक्षण के समय भट्टे का संचालन बन्द पाया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा प्रतिनिधि के रूप में श्री राम किशन उपस्थित थे। आख्या निम्नवत् है-

1. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट उद्योग मै0 श्री गणेश ब्रिक्स इण्डस्ट्री, खसरा सं0-716, 718 ग्राम- बुखरारी, तहसील- छाता, जनपद-मथुरा के नाम से वर्ष- 2021 से स्थापित है।
2. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्टे को कार्यालय के पत्रांक- 96265/UPPCB/MATHURA(UPPCBRO)/CTE/MATHURA/2020 दिनांक-30.06.2020 द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से नवीन ईट भट्टे की स्थापना हेतु सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।
3. सन्दर्भित ईट भट्टे के जियो कोर्डिनेट अक्षांश- 27.854184 एवं देशांतर- 77.478322 है।
4. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्टे को राज्य बोर्ड के द्वारा दिनांक-16.10.2020 द्वारा सशर्त सहमति जल एवं वायु अवधि- 31.07.2024 तक निर्गत है।
5. सशर्त सहमति वायु कि शर्त संख्या 9 एवं विशिष्ट शर्त की बिन्दु संख्या 4 व 8 का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण कार्यालय की पत्र संख्या-1417/एस-495/2022 दिनांक 25.03.2022 द्वारा निर्गत सहमति जल/वायु को निरस्त किया गया है।
6. तदोपरान्त बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0-73533/सी-4/ईट-884/बन्दी आदेश/2022 दिनांक 29.03.2022 द्वारा उक्त ईट भट्टे को बन्दी आदेश जारी किया गया है।
7. निरीक्षण के समय ईट भट्टा के प्रतिनिधि को यह निर्देशित किया गया कि ईट भट्टे का संचालन बिना सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये बगैर नहीं किया जाये।
8. उक्त ईट भट्टा जिग-जैग पद्धति पर स्थापित है। संदर्भित ईट भट्टे पर लगभग 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है जोकि निर्धारित मानको के अनुरूप है। निरीक्षण के समय ईट भट्टे पर किसी भी प्रकार का ईंधन एकत्रित नहीं पाया गया।
9. ईट भट्टे पर गाडियो के आवागमन से जनित धूल के रोकथाम के लिये पानी के छिड़काव हेतु पानी के टैंकर्स की व्यवस्था की गयी है।
10. ईट भट्टे में स्थापित चिमनी पर वायु अनुश्रवण हेतु पोर्टहॉल, प्लेटफार्म एवं सीढ़ी स्थापित है।
11. ईट भट्टे से जनित लगभग एक के0एल0डी0 घरेलू उत्प्लावक के शुद्धिकरण के हेतु सेप्टिक टैंक/सोकपिट स्थापित किया गया।

निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

  
(शैलेश मोर्य)

अनुश्रवण सहायक

  
(चंद्रशेखर)

सहा0 पर्या0 अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी



मै0 हरिबाबा ब्रिक्स उद्योग (नया नाम मै0 अर्बन ब्रिक्स उद्योग), खसरा सं0-226 ग्राम- ऐं, तहसील- छाता, जनपद-मथुरा की अद्यतन निरीक्षण आख्या।

मै0 राष्ट्रीय हिरत अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-498/2024 "श्रीचन्द बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य" में पारित आदेश दिनांक 06-05-2024 के अनुपालन में संदर्भित ईट भट्टे का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 31-07-2024 को किया गया। निरीक्षण के समय भट्टा सीजन ऑफ होने के कारण बन्द पाया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा प्रतिनिधि के रूप में श्री जितेन्द्र चौधरी उपस्थित थे। आख्या निम्नवत् है-

1. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट उद्योग मै0 हरिबाबा ब्रिक्स उद्योग(नया नाम- अर्बन ब्रिक्स उद्योग), खसरा सं0- 226, ग्राम- ऐं, तहसील- छाता, जनपद-मथुरा के नाम से वर्ष-2006 से मै0 न्यू भगवती ब्रिक्स फील्ड के नाम से स्थापित है।
2. सन्दर्भित ईट भट्टे के जियो कोर्डिनेट अक्षांश- 27.919162 एवं देशांतर- 77.479665 है।
3. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्टे को कार्यालय के पत्रांक-2125/एन0ओ0सी0-418/2006 दिनांक-31.03.2006 द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से नवीन ईट भट्टे की स्थापना हेतु सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।
4. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्टे को राज्य बोर्ड के पत्रांक- 216764/UPPCB/MATHURA(UPPCBRO)/CTO/both/MATHURA/2024 दिनांक-31.07.2024 द्वारा सशर्त सहमति जल एवं वायु अवधि- 31.07.2029 तक निर्गत है। भट्टे की ईट उत्पादन क्षमता 20000 ईट प्रतिदिन की है।
5. उक्त ईट भट्टा जिग-जैग पद्धति पर स्थापित है। संदर्भित ईट भट्टे पर लगभग 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है जोकि निर्धारित मानको के अनुरूप निरीक्षण के समय ईट भट्टे पर ईंधन के रूप में बायोमांस (तूरी) एकत्रित पायी गयी।
6. ईट भट्टे पर गाड़ियों के आवागमन से जनित धूल के रोकथाम के लिये पानी के छिड़काव हेतु पानी के टैंकर्स की व्यवस्था की गयी है।
7. ईट भट्टे में स्थापित चिमनी पर वायु अनुश्रवण हेतु पोर्टहॉल, प्लेटफार्म एवं सीढ़ी स्थापित है।
8. ईट भट्टे से जनित लगभग एक के0एल0डी0 घरेलू उत्प्रवाह के शुद्धिकरण के हेतु सेप्टिक टैंक/सोकपिट स्थापित किया गया।
9. ईट भट्टे के परिसर में धूल को कम करने हेतु कुछ जगहों पर ईट के टुकड़े को फर्श पर कच्चे रोड को पक्के रोड में परिवर्तित किया गया है। ईट भट्टे के चारों ओर वृक्षारोपण का कार्य भी पाया गया।

निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


  
(शीलेश मोर्य)

अनुश्रवण सहायक

  
(चंद्रशेखर)

सहा0 पर्या0 अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी




मै0 परी ब्रिक्स इण्डस्ट्री, खसरा सं0-50, ग्राम- ऐंच, तहसील- छाता, जनपद-मथुरा की अद्यतन निरीक्षण आख्या।

मा0 राष्ट्रीय हिरत अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-498/2024 'श्रीचन्द बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य' में पारित आदेश दिनांक 06-05-2024 के अनुपालन में संदर्भित ईट भट्टे का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 31-07-2024 को किया गया। निरीक्षण के समय भट्टे का संचालन बन्द पाया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा पूर्ण रूप से बंद होने के कारण प्रतिनिधि के रूप में कोई उपस्थित नहीं था। आख्या निम्नवत् है-

1. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट उद्योग मै0 परी ब्रिक्स इण्डस्ट्री, खसरा सं0-50, ग्राम- ऐंच, तहसील- छाता, जनपद-मथुरा के नाम से वर्ष- 2021 से स्थापित है।
2. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्टे को कार्यालय के पत्रांक- 118874/UPPCB/MATHURA(UPPCBRO)/CTE/MATHURA/2021 दिनांक-27.01.2021 द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से नवीन ईट भट्टे की स्थापना हेतु सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।
3. सन्दर्भित ईट भट्टे के जियो कोर्डिनेट अक्षांश- 27.929625 एवं देशांतर- 77.486218 है।
4. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्टे को राज्य बोर्ड के द्वारा सहमति जल/वायु प्राप्त नहीं की गयी है।
5. उक्त ईट भट्टा द्वारा उ0प्र0 ईट भट्टा (स्थापना हेतु स्थल मापदंड) नियमावली 2012 का अनुपालन नहीं किया गया है। तदोपरान्त बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0- 73537/सी-4/ईट-890/बन्दी आदेश/2022 दिनांक 29.03.2022 द्वारा उक्त ईट भट्टे को बन्दी आदेश जारी किया गया है।
6. निरीक्षण के समय ईट भट्टा के प्रतिनिधि को यह निर्देशित किया गया कि ईट भट्टे का संचालन बिना सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये बगैर नहीं किया जाये।
7. उक्त ईट भट्टा जिग-जैग पद्धति पर स्थापित है। संदर्भित ईट भट्टे पर लगभग 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है जोकि निर्धारित मानको के अनुरूप है। निरीक्षण के समय ईट भट्टे पर किसी भी प्रकार का ईंधन एकत्रित नहीं पाया गया।
8. ईट भट्टे पर गाड़ियों के आवागमन से जनित धूल के रोकथाम के लिये पानी के छिड़काव हेतु पानी के टैंकर्स की व्यवस्था की गयी है।
9. ईट भट्टे में स्थापित चिमनी पर वायु अनुश्रवण हेतु पोर्टहॉल, प्लेटफार्म एवं सीढ़ी स्थापित है।
10. ईट भट्टे से जनित लगभग एक कें0एल0डी0 घरेलू उत्पन्नवाह के शुद्धिकरण के हेतु सेप्टिक टैंक/सोकपिट स्थापित किया गया।

निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


  
(शैलेश मोर्य)

अनुश्रवण सहायक

  
(चंद्रशेखर)

सहा0 पर्या0 अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी



मै0 जय बाबा मोहन राम ब्रिक्स उद्योग, खसरा सं0-218, ग्राम- उझानी बांगर, तहसील- छाता, जनपद-मथुरा की अद्यतन निरीक्षण आख्या।

मा0 राष्ट्रीय हिरत अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-498/2024 "श्रीचन्द बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य" में पारित आदेश दिनांक 06-05-2024 के अनुपालन में संदर्भित ईट भट्टे का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 31-07-2024 को किया गया। निरीक्षण के समय भट्टे का संचालन बन्द पाया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा प्रतिनिधि के रूप में श्री ललित उपस्थित थे। आख्या निम्नवत् है-

1. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट उद्योग मै0जय बाबा मोहन राम ब्रिक्स उद्योग, खसरा सं0-218, ग्राम- उझानी बांगर, तहसील- छाता, जनपद-मथुरा के नाम से वर्ष- 2013 से स्थापित है।
2. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्टे को कार्यालय के पत्रांक-1146/एन0ओ0सी0-826/2013 दिनांक-17.12.2013 द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से नवीन ईट भट्टे की स्थापना हेतु सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।
3. सन्दर्भित ईट भट्टे के जियो कोर्डिनेट अक्षांश- 27.800302 एवं देशांतर- 77.568978 है।
4. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्टे को राज्य बोर्ड के द्वारा दिनांक-02.08.2021 द्वारा सशर्त सहमति जल एवं वायु अवधि- 31.07.2026 तक निर्गत है।
5. सशर्त सहमति वायु कि शर्त संख्या 9 एवं विशिष्ट शर्त की बिन्दु संख्या 4 व 8 का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण कार्यालय की पत्र संख्या 1135/जे-92/2022 दिनांक 26.02.2022 द्वारा निर्गत सहमति जल/वायु को निरस्त किया गया है।
6. तदोपरान्त बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0- 72043/सी-4/ईट-783/बन्दी आदेश/2022 दिनांक 28.02.2022 द्वारा उक्त ईट भट्टे को बन्दी आदेश जारी किया गया है।
7. उक्त ईट भट्टा को बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 10,00,000/- अधिरोपित की गयी है। जिसे भू- राजस्व की भाँति वसूली किये जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय को पत्र प्रेषित किया गया है।
8. निरीक्षण के समय ईट भट्टा के प्रतिनिधि को यह निर्देशित किया गया कि ईट भट्टे का संचालन बिना सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये बगैर नहीं किया जाये।
9. उक्त ईट भट्टा जिग-जैग पद्धति पर स्थापित है। संदर्भित ईट भट्टे पर लगभग 30 मीटर ऊँची चिमनी स्थापित है जोकि निर्धारित मानको के अनुरूप है। निरीक्षण के समय ईट भट्टे पर किसी भी प्रकार का ईंधन एकत्रित नहीं पाया गया।
10. ईट भट्टे पर गाड़ियों के आवागमन से जनित धूल के रोकथाम के लिये पानी के छिड़काव हेतु पानी के टैंकर्स की व्यवस्था की गयी है।
11. ईट भट्टे में स्थापित चिमनी पर वायु अनुश्रवण हेतु पोर्टहॉल, प्लेटफार्म एवं सीढ़ी स्थापित है।
12. ईट भट्टे से जनित लगभग एक के0एल0डी0 घरेलू उत्प्लावक के शुद्धिकरण के हेतु सेप्टिक टैंक/सोकपिट स्थापित किया गया।

निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


  
(शैलिशा मोर्य)

अनुश्रवण सहायक

  
(चंद्रशेखर)

सहा0 पर्या0 अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी



मै0 जय फलारी ब्रिक्स उद्योग (वास्तविक नाम मै0 जय बाबा फलारी ईट उद्योग), खसरा सं0-215 ए, 213, ग्राम-ऐंच, तहसील- छाता, जनपद-मथुरा की अद्यतन निरीक्षण आख्या।

मा0 राष्ट्रीय हिरत अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-498/2024 "श्रीचन्द बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य" में पारित आदेश दिनांक 06-05-2024 के अनुपालन में संदर्भित ईट भट्टे का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 31-07-2024 को किया गया। निरीक्षण के समय भट्टे का संचालन बन्द पाया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा प्रतिनिधि के रूप में श्री जितेन्द्र उपस्थित थे। आख्या निम्नवत् है-

1. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट उद्योग मै0 जय फलारी ब्रिक्स उद्योग (वास्तविक नाम मै0 जय बाबा फलारी ईट उद्योग), खसरा सं0-215 ए, 213, ग्राम-ऐंच, तहसील- छाता, जनपद-मथुरा में पूर्व नाम मै0 कृष्णा ईट उद्योग से स्थापित है।
2. सन्दर्भित ईट भट्टे के जियो कोर्डिनेट अक्षांश-27.921229 एवं देशांतर- 77.47927 है।
3. उक्त ईट भट्टे द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना ही ईट भट्टा स्थापित कर लिया गया था, जिसमें बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0-एच20187/सी-4/ईट-242/बन्दी आदेश/2018 दिनांक 17.05.2018 द्वारा बन्दी निर्गत किया गया।
4. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्टे द्वारा वर्ष 2020 में प्रथम बार सहमति जल/वायु हेतु आवेदन किया गया था, जिसे राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक-08.10.2020 को निरस्त किया गया। तत्पश्चात् ईट भट्टे द्वारा पुनः आवेदन कर बन्दी आदेश निक्षेपित कराते हुए सहमति जल/वायु दिनांक-31.07.2024 तक प्राप्त की गयी है।
5. सशर्त सहमति वायु कि शर्त संख्या 9 एवं विशिष्ट शर्त की विन्दु संख्या 4 व 8 का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण कार्यालय की पत्र संख्या-1414/जे-107/2022 दिनांक 25.03.2022 द्वारा निर्गत सहमति जल/वायु को निरस्त किया गया है।
6. तदोपरान्त बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0-एच72527/सी-4/ईट-885/बन्दी आदेश/2022 दिनांक 29.03.2022 द्वारा उक्त ईट भट्टे को बन्दी आदेश जारी किया गया है।
7. निरीक्षण के समय ईट भट्टा के प्रतिनिधि को यह निर्देशित किया गया कि ईट भट्टे का संचालन बिना सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये बगैर नहीं किया जाये।
8. उक्त ईट भट्टा जिग-जैग पद्धति पर स्थापित है। संदर्भित ईट भट्टे पर लगभग 30 मीटर ऊंची धिमनी स्थापित है जोकि निर्धारित मानको के अनुरूप है। निरीक्षण के समय ईट भट्टे पर किसी भी प्रकार का ईंधन एकत्रित नहीं पाया गया।
9. ईट भट्टे पर गाडियो के आवागमन से जनित धूल के रोकथाम के लिये पानी के छिड़काव हेतु पानी के टैंकर्स की व्यवस्था की गयी है।
10. ईट भट्टे में स्थापित धिमनी पर वायु अनुश्रवण हेतु पोर्टहॉल, प्लेटफार्म एवं सीढ़ी स्थापित है।
11. ईट भट्टे से जनित लगभग एक के0एल0डी0 घरेलू उत्प्रवाह के शुद्धिकरण के हेतु सेप्टिक टैंक/सोकपिट स्थापित किया गया।

निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

  
(शैलेश मोर्य)

अनुश्रवण सहायक

  
(चंद्रशेखर)

सहा0 पर्या0 अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी



मै0 एस0एस0 बोहरे जी ब्रिक इण्डस्ट्री, खसरा सं0-254, उझानी, तहसील-छाता, मथुरा (वास्तविक नाम एवं पता मै0 एस0एस0 बोहरे जी ईट उद्योग, खसरा सं0-245, ग्राम-उझानी, तहसील-छाता, मथुरा) की अद्यतन निरीक्षण आख्या।

मा0 राष्ट्रीय हिरत अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-498/2024 "श्रीचन्द बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य" में पारित आदेश दिनांक 06-05-2024 के अनुपालन में संदर्भित ईट भट्टे का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 31-07-2024 को किया गया। निरीक्षण के समय भट्टे का संचालन बन्द पाया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा प्रतिनिधि के रूप में श्री रामहेत उपस्थित थे। आख्या निम्नवत् है-

1. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट उद्योग मै0 एस0एस0 बोहरे जी ब्रिक इण्डस्ट्री, खसरा सं0-254, उझानी, तहसील-छाता, मथुरा (वास्तविक नाम एवं पता मै0 एस0एस0 बोहरे जी ईट उद्योग, खसरा सं0-245, ग्राम-उझानी, तहसील-छाता, मथुरा) में वर्ष 2012 से स्थापित है।
2. सन्दर्भित ईट भट्टे के जियो कोर्डिनेट अक्षांश-27.805766 एवं देशांतर-77.57123 है।
3. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्टे को कार्यालय के पत्रांक-435/एन0ओ0सी0-736/12 दिनांक-06.07.2012 द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से नवीन ईट भट्टे की स्थापना हेतु सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।
4. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्टे को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक-20.12.2018 द्वारा सहमति जल/वायु वर्ष 31.07.2020 तक प्राप्त थी।
5. ईट भट्टे द्वारा राज्य बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त किये बिना ही ईट भट्टे का संचालन किया जा रहा था, जिसके परिप्रेक्ष्य में बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0-एच72055/सी-4/ईट-795/बन्दी आदेश/2022 दिनांक 28.02.2022 द्वारा उक्त ईट भट्टे को बन्दी आदेश जारी किया गया है।
6. निरीक्षण के समय ईट भट्टा के प्रतिनिधि को यह निर्देशित किया गया कि ईट भट्टे का संचालन बिना सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये बगैर नहीं किया जाये।
7. उक्त ईट भट्टा जिग-जैग पद्धति पर स्थापित है। संदर्भित ईट भट्टे पर लगभग 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है जोकि निर्धारित मानको के अनुरूप है। निरीक्षण के समय ईट भट्टे पर किसी भी प्रकार का ईंधन एकत्रित नहीं पाया गया।
8. ईट भट्टे पर गाड़ियों के आवागमन से जनित धूल के रोकथाम के लिये पानी के छिड़काव हेतु पानी के टैंकर्स की व्यवस्था की गयी है।
9. ईट भट्टे में स्थापित चिमनी पर वायु अनुश्रवण हेतु पोर्टहॉल, प्लेटफार्म एवं सीढ़ी स्थापित है।
10. ईट भट्टे से जनित लगभग एक कें0एल0डी0 घरेलू उत्सवाह के शुद्धिकरण के हेतु सेप्टिक टैंक/सोकपिट स्थापित किया गया।

निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

*Shalek*  
(शैलेश मोर्य)

अनुश्रवण सहायक

*01/08/24*  
(चंद्रशेखर)

सहा0 पर्या0 अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी

*[Signature]*

मै0 जय दुर्गे मां त्रिक इण्डस्ट्री (वास्तविक नाम मै0 जय दुर्गा मां ईट उद्योग), खसरा सं0-621, बडा बांगर, तहसील-छाता, मथुरा की अद्यतन निरीक्षण आख्या।

मा0 राष्ट्रीय हिरत अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-498/2024 'श्रीचन्द बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य' में पारित आदेश दिनांक 06-05-2024 के अनुपालन में संदर्भित ईट भट्टे का निरीक्षण अधोहस्तक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 31-07-2024 को किया गया। निरीक्षण के समय भट्टे का संचालन बन्द पाया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा प्रतिनिधि के रूप में श्री लोकमदी उपस्थित थे। आख्या निम्नवत् है-

1. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट उद्योग मै0 जय दुर्गे मां त्रिक इण्डस्ट्री (वास्तविक नाम मै0 जय दुर्गा मां ईट उद्योग), खसरा सं0-621, बडा बांगर, तहसील-छाता, मथुरा में वर्ष 2020 से स्थापित है।
2. सन्दर्भित ईट भट्टे के जियो कोर्डिनेट अक्षांश- 27.82301 एवं देशांतर- 77.549488 है।
3. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्टे को कार्यालय के पत्रांक- 92260/UPPCB/MATHURA(UPPCBRO)/CTE/MATHURA/2020 दिनांक-10.06.2020 द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से नवीन ईट भट्टे की स्थापना हेतु सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।
4. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्टे को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक-14.10.2020 द्वारा सहमति जल/वायु वर्ष 31.07.2024 तक प्राप्त है।
5. सशर्त सहमति वायु कि शर्त संख्या 9 एवं विशिष्ट शर्त की बिन्दु संख्या 4 व 8 का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण कार्यालय की पत्र संख्या-1327/जे-106/2022 दिनांक 15.03.2022 द्वारा निर्गत सहमति जल/वायु को निरस्त किया गया है।
6. तदोपरान्त बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0-एच73012/सी-4/ईट-864/बन्दी/2022 दिनांक 16.03.2022 द्वारा उक्त ईट भट्टे को बन्दी आदेश जारी किया गया है।
7. उक्त ईट भट्टा को बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रुपये 6,37,500/- अधिशेषित की गयी है, जिसे भू-राजस्व की भाँति वसूली किये जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय को पत्र प्रेषित किया गया है।
8. निरीक्षण के समय ईट भट्टा के प्रतिनिधि को यह निर्देशित किया गया कि ईट भट्टे का संचालन बिना सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये बगैर नहीं किया जाये।
9. उक्त ईट भट्टा जिग-जैग पद्धति पर स्थापित है। संदर्भित ईट भट्टे पर लगभग 30 मीटर ऊँची चिमनी स्थापित है जोकि निर्धारित मानको के अनुरूप है। निरीक्षण के समय ईट भट्टे पर किसी भी प्रकार का ईंधन एकत्रित नहीं पाया गया।
10. ईट भट्टे पर गाड़ियों के आवागमन से जनित धूल के रोकथाम के लिये पानी के छिड़काव हेतु पानी के टैंकर्स की व्यवस्था की गयी है।
11. ईट भट्टे में स्थापित चिमनी पर वायु अनुश्रवण हेतु पोर्टहॉल, प्लेटफार्म एवं सीढ़ी स्थापित है।
12. ईट भट्टे से जनित लगभग एक कैं0एल0डी0 घरेलू उत्प्लावक के शुद्धिकरण के हेतु सेप्टिक टैंक/सोकपिट स्थापित किया गया।

निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

*Shalesh*  
(शैलेश मोर्य)

अनुश्रवण सहायक

*Chandrasekhar*  
(चंद्रशेखर)

सहा0 पर्या0 अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी

*[Signature]*

मै0 श्री माधवदास ब्रिक इण्डस्ट्री (वास्तविक नाम मै0 श्री माधवदास ईट उद्योग), खसरा सं0-194, शहजादपुर बांगर, तहसील-छाता, मथुरा की अद्यतन निरीक्षण आख्या।

मा0 राष्ट्रीय हिरत अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-498/2024 "श्रीचन्द बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य" में पारित आदेश दिनांक 06-05-2024 के अनुपालन में संदर्भित ईट भट्टे का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 31-07-2024 को किया गया। निरीक्षण के समय भट्टे का संचालन बन्द पाया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा प्रतिनिधि के रूप में श्री नेत्रपाल सिंह उपस्थित थे। आख्या निम्नवत् है-

1. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट उद्योग मै0 मै0 श्री माधवदास ब्रिक इण्डस्ट्री (वास्तविक नाम मै0 श्री माधवदास ईट उद्योग), खसरा सं0-194, शहजादपुर बांगर, तहसील-छाता, मथुरा में वर्ष 2020 से स्थापित है।
2. सन्दर्भित ईट भट्टे के जियो कोर्डिनेट अक्षांश-27.838097 एवं देशांतर-77.545622 है।
3. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्टे को कार्यालय के पत्रांक-129217/UPPCB/MATHURA(UPPCBRO)/CTE/MATHURA/2021 दिनांक-30.06.2021 द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से नवीन ईट भट्टे की स्थापना हेतु सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।
4. उक्त ईट भट्टा द्वारा उ0प्र0 ईट भट्टा (स्थापना हेतु स्थल मापदंड) नियमावली 2012 का अनुपालन नहीं किया गया है।
5. तदोपरान्त बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0-एच73536/सी-4/ईट-891/बन्दी आदेश/2022 दिनांक 29.03.2022 द्वारा उक्त ईट भट्टे को बन्दी आदेश जारी किया गया है।
6. उक्त ईट भट्टा को बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रुपये 2,25,000/- अधिरोपित की गयी है, जिसे भू-राजस्व की भाँति वसूली किये जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय को पत्र प्रेषित किया गया है।
7. निरीक्षण के समय ईट भट्टा के प्रतिनिधि को यह निर्देशित किया गया कि ईट भट्टे का संचालन बिना सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये बगैर नहीं किया जाये।
8. उक्त ईट भट्टा जिग-जैग पद्धति पर स्थापित है। संदर्भित ईट भट्टे पर लगभग 30 मीटर ऊँची चिमनी स्थापित है जोकि निर्धारित मानको के अनुरूप है। निरीक्षण के समय ईट भट्टे पर किसी भी प्रकार का ईंधन एकत्रित नहीं पाया गया।
9. ईट भट्टे पर गाड़ियों के आवागमन से जनित धूल के रोकथाम के लिये पानी के छिड़काव हेतु पानी के टैंकर्स की व्यवस्था की गयी है।
10. ईट भट्टे में स्थापित चिमनी पर वायु अनुश्रवण हेतु पोर्टहॉल, प्लेटफार्म एवं सीढ़ी स्थापित है।
11. ईट भट्टे से जनित लगभग एक कें0एल0डी0 घरेलू उत्स्रवाह के शुद्धिकरण के हेतु सेप्टिक टैंक/सोकपिट स्थापित किया गया।

निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

  
(शैलेश मोर्य)

अनुश्रवण सहायक

  
(चंद्रशेखर)

सहा0 पर्या0 अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी




मै0 साई बाबा ब्रिक इण्डस्ट्री (वास्तविक नाम मै0 साई बाबा ईट उद्योग), खसरा सं0-116, 117, 118, मझोई बांगर, तहसील-छाता, मथुरा की अद्यतन निरीक्षण आख्या।

मा0 राष्ट्रीय हिरत अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-498/2024 "श्रीचन्द बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य" में पारित आदेश दिनांक 06-05-2024 के अनुपालन में संदर्भित ईट भट्टे का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 31-07-2024 को किया गया। निरीक्षण के समय भट्टे का संचालन बन्द पाया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा प्रतिनिधि के रूप में श्री याशमीन उपस्थित थे। आख्या निम्नवत् है-

1. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट उद्योग मै0 साई बाबा ब्रिक इण्डस्ट्री (वास्तविक नाम मै0 साई बाबा ईट उद्योग), खसरा सं0-116, 117, 118, मझोई बांगर, तहसील-छाता, मथुरा में वर्ष 2020 से स्थापित है।
2. सन्दर्भित ईट भट्टे के जियो कोर्डिनेट अक्षांश-27.84151 एवं देशांतर-77.545017 है।
3. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्टे को कार्यालय के पत्रांक-107618/UPPCB/MATHURA(UPPCBRO)/CTE/MATHURA/2020 दिनांक-22.10.2020 द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से नवीन ईट भट्टे की स्थापना हेतु सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।
4. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्टे को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक-19.03.2021 द्वारा सहमति जल/वायु वर्ष 31.07.2024 तक प्राप्त थी।
5. सशर्त सहमति वायु कि शर्त संख्या 9 एवं विशिष्ट शर्त की बिन्दु संख्या 4 व 8 का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण कार्यालय की पत्र संख्या-1424/एस-518/2022 दिनांक 25.03.2022 द्वारा निर्गत सहमति जल/वायु को निरस्त किया गया है।
6. तदोपरान्त बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0-एच73531/सी-4/ईट-889/बन्दी आदेश/2022 दिनांक 29.03.2022 द्वारा उक्त ईट भट्टे को बन्दी आदेश जारी किया गया है।
7. उक्त ईट भट्टा को बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 4,00,000/- अधिरोपित की गयी है, जिसे भू-राजस्व की भाँति वसूली किये जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय को पत्र प्रेषित किया गया है।
8. निरीक्षण के समय ईट भट्टा के प्रतिनिधि को यह निर्देशित किया गया कि ईट भट्टे का संचालन बिना सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये बगैर नहीं किया जाये।
9. उक्त ईट भट्टा जिग-जैग पद्धति पर स्थापित है। संदर्भित ईट भट्टे पर लगभग 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है जोकि निर्धारित मानको के अनुरूप है। निरीक्षण के समय ईट भट्टे पर किसी भी प्रकार का ईंधन एकत्रित नहीं पाया गया।
10. ईट भट्टे पर गाडियो के आवागमन से जनित धूल के रोकथाम के लिये पानी के छिड़काव हेतु पानी के टैंकर्स की व्यवस्था की गयी है।
11. ईट भट्टे में स्थापित चिमनी पर वायु अनुश्रवण हेतु पोर्टहॉल, प्लेटफार्म एवं सीढ़ी स्थापित है।
12. ईट भट्टे से जनित लगभग एक के0एल0डी0 घरेलू उत्प्रावह के शुद्धिकरण के हेतु सेप्टिक टैंक/सोकपिट स्थापित किया गया।

निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

  
(शैलेश मोर्य)

अनुश्रवण सहायक

  
(चंद्रशेखर)

सहा0 पर्या0 अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी



मै0 पाहत ब्रिक इण्डस्ट्री (वास्तविक नाम मै0 पाहत ईट उद्योग), खसरा सं0-28/2, 29/2, बडा बांगर, तहसील-छाता, मथुरा की अद्यतन निरीक्षण आख्या।

मा0 राष्ट्रीय हिरत अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-498/2024 "श्रीचन्द बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य" में पारित आदेश दिनांक 06-05-2024 के अनुपालन में संदर्भित ईट भट्टे का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 31-07-2024 को किया गया। निरीक्षण के समय भट्टे का संचालन बन्द पाया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा प्रतिनिधि के रूप में श्री शेख मुहम्मद उपस्थित थे। आख्या निम्नवत् है-

1. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट उद्योग मै0 पाहत ब्रिक इण्डस्ट्री (वास्तविक नाम मै0 पाहत ईट उद्योग), खसरा सं0-28/2, 29/2, बडा बांगर, तहसील-छाता, मथुरा में वर्ष 2020 से स्थापित है।
2. सन्दर्भित ईट भट्टे के जियो कोर्डिनेट अक्षांश-27.833754 एवं देशांतर-77.5434 है।
3. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्टे को कार्यालय के पत्रांक-99209/UPPCB/MATHURA(UPPCBRO)/CTE/MATHURA/2020 दिनांक-22.07.2020 द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से नवीन ईट भट्टे की स्थापना हेतु सरात अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।
4. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्टे को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक-22.07.2021 द्वारा सहमति जल/वायु वर्ष 31.07.2025 तक प्राप्त है।
5. सरात सहमति वायु कि शर्त संख्या 9 एवं विशिष्ट शर्त की बिन्दु संख्या 4 व 8 का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण कार्यालय की पत्र संख्या-1339/पी-191/2022 दिनांक 15.03.2022 द्वारा निर्गत सहमति जल/वायु को निरस्त किया गया है।
6. तदोपरान्त बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0-एच73011/सी-4/ईट-863/बन्दी/2022 दिनांक 16.03.2022 द्वारा उक्त ईट भट्टे को बन्दी आदेश जारी किया गया है।
7. उक्त ईट भट्टा को बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रुपये 6,75,000/- अधिरोपित की गयी है, जिसे भू-राजस्व की भाँति वसूली किये जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय को पत्र प्रेषित किया गया है।
8. निरीक्षण के समय ईट भट्टा के प्रतिनिधि को यह निर्देशित किया गया कि ईट भट्टे का संचालन बिना सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये बगैर नहीं किया जाये।
9. उक्त ईट भट्टा जिग-जैग पद्धति पर स्थापित है। संदर्भित ईट भट्टे पर लगभग 30 मीटर ऊँची चिमनी स्थापित है जोकि निर्धारित मानको के अनुरूप है। निरीक्षण के समय ईट भट्टे पर किसी भी प्रकार का ईंधन एकत्रित नहीं पाया गया।
10. ईट भट्टे पर गाड़ियों के आवागमन से जनित धूल के रोकथाम के लिये पानी के छिड़काव हेतु पानी के टैंकर्स की व्यवस्था की गयी है।
11. ईट भट्टे में स्थापित चिमनी पर वायु अनुश्रवण हेतु पोर्टहॉल, प्लेटफार्म एवं सीढ़ी स्थापित है।
12. ईट भट्टे से जनित लगभग एक के0एल0डी0 घरेलू उत्स्रावह के शुद्धिकरण के हेतु सेप्टिक टैंक/सोकपिट स्थापित किया गया।

निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

*Shah*  
(शैलेश मोर्य)

अनुश्रवण सहायक

*Chandrasekhar*  
(चंद्रशेखर)

सहा0 पर्या0 अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी

*[Signature]*

मै0 बाबा ब्रिक्स फील्ड, खसरा सं0-231 ग्राम- शेर नगर बांगर, तहसील- छाता, जनपद-मथुरा की अद्यतन निरीक्षण आख्या।

मा0 राष्ट्रीय हिरत अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-498/2024 "श्रीचन्द बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य" में पारित आदेश दिनांक 06-05-2024 के अनुपालन में संदर्भित ईट भट्टे का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 31-07-2024 को किया गया। निरीक्षण के समय भट्टा सीजन ऑफ होने के कारण बन्द पाया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा प्रतिनिधि के रूप में श्री लोकेश दिविक्षत उपस्थित थे। आख्या निम्नवत् है-

1. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट उद्योग मै0 बाबा ब्रिक्स फील्ड, खसरा सं0- 231, ग्राम- शेर नगर बांगर, तहसील- छाता, जनपद-मथुरा के नाम से वर्ष-2014 से स्थापित है।
2. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्टे को कार्यालय के पत्रांक-137/एन0ओ0सी0-842/2014 दिनांक-12.05.2014 द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से नवीन ईट भट्टे की स्थापना हेतु सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।
3. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्टे को राज्य बोर्ड के पत्रांक-203473/UPPCB/MATHURA(UPPCBRO)/CTO/both/MATHURA/2024 दिनांक-28.02.2024 द्वारा सशर्त सहमति जल एवं वायु अवधि- 31.07.2028 तक निर्गत है। भट्टे की ईट उत्पादन क्षमता 20000 ईट प्रतिदिन की है।
4. उक्त ईट भट्टा जिग-जैग पद्धति पर स्थापित है। संदर्भित ईट भट्टे पर लगभग 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है जोकि निर्धारित मानको के अनुरूप है। है। निरीक्षण के समय ईट भट्टे पर ईंधन के रूप में बायोमांस (तूरी) एकत्रित पायी गयी।
5. ईट भट्टे पर गाड़ियों के आवागमन से जनित धूल के रोकथाम के लिये पानी के छिड़काव हेतु पानी के टैंकर्स की व्यवस्था की गयी है।
6. ईट भट्टे में स्थापित चिमनी पर वायु अनुश्रवण हेतु पोर्टहॉल, प्लेटफार्म एवं सीढ़ी स्थापित है। ईट भट्टे द्वारा एन0ए0बी0एल0 द्वारा मान्यता प्राप्त, मै0 एवर ग्रीन इन्व्वायरो टेस्टिंग एल0एल0पी0 द्वारा निर्गत चिमनी की स्टेक मोनिट्रिंग रिपोर्ट प्रेषित की गयी है जो मानक के अनुरूप है (संलग्नक-1)।
7. ईट भट्टे से जनित लगभग एक के0एल0डी0 घरेलू उत्स्रावह के शुद्धिकरण के हेतु सेप्टिक टैंक/सोकपिट स्थापित किया गया।
8. ईट भट्टे के परिसर में धूल को कम करने हेतु कुछ जगहों पर ईट के टुकड़े को फर्श पर कच्चे रोड को पक्के रोड में परिवर्तित किया गया है। ईट भट्टे के चारों ओर वृक्षारोपण का कार्य भी पाया गया।

निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

  
(शैलिशा भोर्य)  
अनुश्रवण सहायक

  
(चंद्रशेखर)  
सहा0 पर्या0 अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी





# EVERGREEN ENVIRO TESTING LLP

Address : Plot No. 047, 1st Floor, Block-F, Surajpur, Site-B, Industrial Area, Greater Noida,  
Gautam Buddha Nagar, U.P.- 201306



Ph. : 01204959379, 7428487870, Mob. : +91-8010087998, 9643079162, 7982197942  
Email ID : evergreenlab03@gmail.com, info@evergreeneclab.com, Website : www.evergreeneclab.com

## TEST REPORT

ISSUED TO	:	M/S BABA BRICK FEILDS KHASRA NO. 231 VILLAGE SHER NAGAR BANGAR TEHSIL CHHATA DISTT. MATHURA, U.P. 281403
Sample Identification No.	:	EETR/E/270524/010
Test Report No. & Date	:	EETR/E/270524/010, DATE: 30.05.2024
Sampling Method	:	As per CPCB Norm's
Sample Description	:	Stack Emission
Sample Collection Date	:	26.05.2024
Sample Collected by	:	EET Representative
Date of Sample Receipt	:	27.05.2024
Analysis Duration	:	27.05.2024 To 30.05.2024

## ANALYSIS RESULT

Reference	: EP Act std.
Sampled By	: EET Representative
Name of Plant & Section	: Stack Emission (Brick)
Emission source Monitored	: Brick kiln (20,000 Brick /day)
Normal Operating Schedule	: As & when required
Type of Chimney (Acc /Metal)	: Brick
Type of Fuel	: Agro Fuel
Stack Height in Meter from Ground Level (mtr)	: 30
Diameter of Stack mtr.	: 4.4
Sampling Duration (min)	: 52
Purpose of Monitoring	: Assessment of Pollution Load
Parameters Monitoring	: PM, Nox, Co, Sox
Stack temperature (-C)	: 389
Ambient Temperature (-C)	: 40.1
Stack Velocity (M/Sec)	: 4.82
Quantity of Emission (Nm <sup>3</sup> /hr)	: 109758.112
APCS	: ID Fan with Settling Chamber

S. NO.	PARAMETERS	UNITS	RESULTS	EMISSION LIMITS AS PER CPCB	TEST METHOD
1.	Particulate Matter (PM)	mg/Nm <sup>3</sup>	581	750	IS : 11255(P-1)
2.	Oxides of Nitrogen	mg/Nm <sup>3</sup>	48.36	Not specified	IS : 11255(P-7)
3.	Carbon Monoxide (as CO)	% by Vol.	0.32	1.0	IS : 13270:1982
4.	Sulphur Dioxide	mg/Nm <sup>3</sup>	18.92	Not specified	IS : 11255(P-2)

Checked by  
SHIVANI PUNDIR



Evergreen Enviro Testing LLP

Issued By  
Authorised Signatory  
Chandan Kumar Singh

- Note : 1. The result listed refer only to be Tested samples and applicable parameters.  
2. Perishable samples will be destroyed after 15 days of sampling.  
3. This report cannot be used as evidence in the court of law and cannot be used in part or full in any media without prior permission.  
4. Subject to G. Noida Jurisdiction.

मै0 श्री किशोरी ब्रिक इण्डस्ट्री (वास्तविक नाम मै0 श्री किशोरी जी ईट उद्योग), खसरा सं0-282, शेरनगर बांगर, तहसील-छाता, मथुरा की अद्यतन निरीक्षण आख्या।

मा0 राष्ट्रीय हिरत अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-498/2024 'श्रीचन्द बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य' में पारित आदेश दिनांक 06-05-2024 के अनुपालन में संदर्भित ईट भट्टे का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 31-07-2024 को किया गया। निरीक्षण के समय भट्टे का संचालन बन्द पाया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा प्रतिनिधि के रूप में श्री रूपम शर्मा उपस्थित थे। आख्या निम्नवत् है-

1. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट उद्योग मै0 श्री किशोरी ब्रिक इण्डस्ट्री (वास्तविक नाम मै0 श्री किशोरी जी ईट उद्योग), खसरा सं0-282, शेरनगर बांगर, तहसील-छाता, मथुरा में वर्ष 2020 से स्थापित है।
2. सन्दर्भित ईट भट्टे के जियो कोर्डिनेट अक्षांश-27.837594 एवं देशांतर-77.535278 है।
3. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्टे को कार्यालय के पत्रांक-107521/UPPCB/MATHURA(UPPCBRO)/CTE/MATHURA/2020 दिनांक-20.10.2020 द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से नवीन ईट भट्टे की स्थापना हेतु सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।
4. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्टे को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक-06.07.2021 द्वारा सहमति जल/वायु वर्ष 31.07.2023 तक प्राप्त थी।
5. सशर्त सहमति वायु कि शर्त संख्या 9 एवं विशिष्ट शर्त की बिन्दु संख्या 4 व 8 का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण कार्यालय की पत्र संख्या-1332/एस-528/2022 दिनांक 15.03.2022 द्वारा निर्गत सहमति जल/वायु को निरस्त किया गया है।
6. तदोपरान्त बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0-एच73008/सी-4/ईट-860/बन्दी/2022 दिनांक 16.03.2022 द्वारा उक्त ईट भट्टे को बन्दी आदेश जारी किया गया है।
7. उक्त ईट भट्टा को बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 4,00,000/- अधिरोपित की गयी है, जिसे भू-राजस्व की भाँति वसूली किये जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय को पत्र प्रेषित किया गया है।
8. निरीक्षण के समय ईट भट्टा के प्रतिनिधि को यह निर्देशित किया गया कि ईट भट्टे का संचालन बिना सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये बगैर नहीं किया जाये।
9. उक्त ईट भट्टा जिग-जैग पद्धति पर स्थापित है। संदर्भित ईट भट्टे पर लगभग 30 मीटर ऊँची चिमनी स्थापित है जोकि निर्धारित मानको के अनुरूप है। निरीक्षण के समय ईट भट्टे पर किसी भी प्रकार का ईंधन एकत्रित नहीं पाया गया।
10. ईट भट्टे पर गाड़ियों के आवागमन से जनित धूल के रोकथाम के लिये पानी के छिड़काव हेतु पानी के टैंकर्स की व्यवस्था की गयी है।
11. ईट भट्टे में स्थापित चिमनी पर वायु अनुश्रवण हेतु पोर्टहॉल, प्लेटफार्म एवं सीढ़ी स्थापित है।
12. ईट भट्टे से जनित लगभग एक के0एल0डी0 घरेलू उत्प्रेषण के शुद्धिकरण के हेतु सेप्टिक टैंक/सोकपिट स्थापित किया गया।

निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

  
(शैलेश मोर्य)

अनुश्रवण सहायक

  
(चंद्रशेखर)

सहा0 पर्या0 अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी



मै0 बाबा ब्रिक्स फील्ड, खसरा सं0-66 ग्राम- बड़ा बांगर, तहसील- छाता, जनपद-मथुरा की अद्यतन निरीक्षण आख्या।

मा0 राष्ट्रीय हिरत अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-498/2024 "श्रीचन्द बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य" में पारित आदेश दिनांक 06-05-2024 के अनुपालन में संदर्भित ईट भट्टे का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 31-07-2024 को किया गया। निरीक्षण के समय भट्टा सीजन ऑफ होने के कारण बन्द पाया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा प्रतिनिधि के रूप में श्री लोकेश दिक्षित उपस्थित थे। आख्या निम्नवत् है-

1. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट उद्योग मै0 बाबा ब्रिक्स फील्ड, खसरा सं0- 66, ग्राम- बड़ा बांगर, तहसील- छाता, जनपद-मथुरा के नाम से वर्ष-07.02.2020 से स्थापित है।
2. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्टे को कार्यालय के पत्रांक 90272/UPPCB/MATHURA(UPPCBRO)/CTE/MATHURA/2020 दिनांक-07.03.2020 द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से नवीन ईट भट्टे की स्थापना हेतु सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।
3. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्टे को राज्य बोर्ड के पत्रांक- 203837/UPPCB/MATHURA(UPPCBRO)/CTO/both/MATHURA/2024 दिनांक-28.02.2024 द्वारा सशर्त सहमति जल एवं वायु अवधि- 31.07.2028 तक निर्गत है। भट्टे की ईट उत्पादन क्षमता 20000 ईट प्रतिदिन की है।
4. उक्त ईट भट्टा जिग-जैग पद्धति पर स्थापित है। संदर्भित ईट भट्टे पर लगभग 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है जोकि निर्धारित मानको के अनुरूप है। निरीक्षण के समय ईट भट्टे पर ईंधन के रूप में बायोमांस (तूरी) एकत्रित पायी गयी।
5. ईट भट्टे पर गाड़ियों के आवागमन से जनित धूल के रोकथाम के लिये पानी के छिड़काव हेतु पानी के टैंकर्स की व्यवस्था की गयी है।
6. ईट भट्टे में स्थापित चिमनी पर वायु अनुश्रवण हेतु पोर्टहॉल, प्लेटफार्म एवं सीढ़ी स्थापित है। ईट भट्टे द्वारा एन0ए0बी0एल0 द्वारा मान्यता प्राप्त, मै0 एवर ग्रीन इन्वायरो टेस्टिंग एल0एल0पी0 द्वारा निर्गत चिमनी की स्टेक मोनिट्रिंग रिपोर्ट प्रेषित की गयी है जो मानक के अनुरूप है (संलग्नक-1)।
7. ईट भट्टे से जनित लगभग एक के0एल0डी0 घरेलू उत्प्रवाह के शुद्धिकरण के हेतु सेप्टिक टैंक/सोकपिट स्थापित किया गया।
8. ईट भट्टे के परिसर में धूल को कम करने हेतु कुछ जगहों पर ईट के टुकड़े को फर्श पर कच्चे रोड को पक्के रोड में परिवर्तित किया गया है। ईट भट्टे के चारों ओर वृक्षारोपण का कार्य भी पाया गया।

निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

  
(शैलेश मोर्य)  
अनुश्रवण सहायक

  
(चंद्रशेखर)  
सहा0 पर्या0 अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी





# EVERGREEN ENVIRO TESTING LLP

166



Address : Plot No. 047, 1st Floor, Block-F, Surajpur, Site-B, Industrial Area, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar, U.P.- 201306

Ph. : 01204959379, 7428487870, Mob. : +91-8010087998, 9643079162, 7982197942

Email ID : evergreenlab03@gmail.com, info@evergreeneclab.com, Website : www.evergreeneclab.com

## TEST REPORT

ISSUED TO	:	M/S BABA BRICK FEILDS KHASRA NO. 66 VILLAGE BADHA BANGAR TEHSIL CHHATA DISTT. MATHURA, U.P. 281401
Sample Identification No.	:	EETR/E/250524/031
Test Report No. & Date	:	EETR/E/250524/031, DATE: 30.05.2024
Sampling Method	:	As per CPCB Norm's
Sample Description	:	Stack Emission
Sample Collection Date	:	25.05.2024
Sample Collected by	:	EET Representative
Date of Sample Receipt	:	25.05.2024
Analysis Duration	:	25.05.2024 To 30.05.2024

## ANALYSIS RESULT

Reference	: EP Act std.
Sampled By	: EET Representative
Name of Plant & Section	: Stack Emission (Brick)
Emission source Monitored	: Brick kiln (20,000 Brick /day)
Normal Operating Schedule	: As & when required
Type of Chimney (Acc/Metal)	: Brick
Type of Fuel	: Agro Fuel
Stack Height in Meter from Ground Level (mtr)	: 30
Diameter of Stack mtr.	: 4.4
Sampling Duration (min)	: 49
Purpose of Monitoring	: Assessment of Pollution Load
Parameters Monitoring	: PM, Nox, Co, Sox
Stack temperature (-C)	: 362
Ambient Temperature (-C)	: 40.8
Stack Velocity (M/Sec)	: 5.01
Quantity of Emission (Nm <sup>3</sup> /hr)	: 122758.114
APCS	: ID Fan with Settling Chamber

S. NO.	PARAMETERS	UNITS	RESULTS	EMISSION LIMITS AS PER CPCB	TEST METHOD
1.	Particulate Matter (PM)	mg/Nm <sup>3</sup>	562	750	IS : 11255(P-1)
2.	Oxides of Nitrogen	mg/Nm <sup>3</sup>	45.98	Not specified	IS : 11255(P-7)
3.	Carbon Monoxide (as CO)	% by Vol.	0.29	1.0	IS : 13270:1992
4.	Sulphur Dioxide	mg/Nm <sup>3</sup>	19.02	Not specified	IS : 11255(P-2)

Checked by  
**SHIVANI PUNDIR**



Evergreen Enviro testing LLP

Issued By  
Authorised Signatory  
Chetan Kumar Singh

- Note : 1. The result listed refer only to be Tested samples and applicable parameters.  
2. Perishable samples will be destroyed after 15 days of sampling.  
3. This report cannot be used as evidence in the court of law and cannot be used in part or full in any media without prior permission.  
4. Subject to Gr. Noida Jurisdiction.

मै0 बोहरे जी ब्रिक कम्पनी, खसरा सं0-170, 353, उझानी बांगर, तहसील-छाता, मथुरा की अद्यतन निरीक्षण आख्या।

मा0 राष्ट्रीय हिरत अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-498/2024 "श्रीचन्द बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य" में पारित आदेश दिनांक 06-05-2024 के अनुपालन में संदर्भित ईट भट्टे का निरीक्षण अघोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 31-07-2024 को किया गया। निरीक्षण के समय भट्टे का संचालन बन्द पाया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा प्रतिनिधि के रूप में श्री रामकिशन उपस्थित थे। आख्या निम्नवत् है-

1. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट उद्योग मै0 बोहरे जी ब्रिक कम्पनी, खसरा सं0-170, 353, उझानी बांगर, तहसील-छाता, मथुरा में वर्ष 2020 से स्थापित है।
2. सन्दर्भित ईट भट्टे के जियो कोर्डिनेट अक्षांश-27.807437 एवं देशांतर-77.586577 है।
3. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्टे को कार्यालय के पत्रांक-67771/UPPCB/MATHURA(UPPCBRO)/CTE/MATHURA/2019 दिनांक-30.09.2019 द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से नवीन ईट भट्टे की स्थापना हेतु सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।
4. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्टे को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक-08.01.2020 द्वारा सहमति जल/वायु वर्ष 31.07.2022 तक प्राप्त थी।
5. सशर्त सहमति वायु कि शर्त संख्या 9 एवं विशिष्ट शर्त की बिन्दु संख्या 4 व 8 का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण कार्यालय की पत्र संख्या-1127/पी-234/2022 दिनांक 26.02.2022 द्वारा निर्गत सहमति जल/वायु को निरस्त किया गया है।
6. तदोपरान्त बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0-एच72042/सी-4/ईट-790/बन्दी आदेश/2022 दिनांक 28.02.2022 द्वारा उक्त ईट भट्टे को बन्दी आदेश जारी किया गया है।
7. उक्त ईट भट्टा को बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 10,00,000/- अधिरोपित की गयी है, जिसे भू-राजस्व की भाँति वसूली किये जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय को पत्र प्रेषित किया गया है।
8. निरीक्षण के समय ईट भट्टा के प्रतिनिधि को यह निर्देशित किया गया कि ईट भट्टे का संचालन बिना सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये बगैर नहीं किया जाये।
9. उक्त ईट भट्टा जिग-जैग पद्धति पर स्थापित है। संदर्भित ईट भट्टे पर लगभग 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है जोकि निर्धारित मानको के अनुरूप है। निरीक्षण के समय ईट भट्टे पर किसी भी प्रकार का ईधन एकत्रित नहीं पाया गया।
10. ईट भट्टे पर गाडियो के आवागमन से जनित धूल के रोकथाम के लिये पानी के छिड़काव हेतु पानी के टैंकर्स की व्यवस्था की गयी है।
11. ईट भट्टे में स्थापित चिमनी पर वायु अनुश्रवण हेतु पोर्टहॉल, प्लेटफार्म एवं सीढ़ी स्थापित है।
12. ईट भट्टे से जनित लगभग एक के0एल0डी0 घरेलू उत्स्रवाह के शुद्धिकरण के हेतु सेप्टिक टैंक/सोकपिट स्थापित किया गया।

निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।



(शैलेश मौर्य)

अनुश्रवण सहायक



(चंद्रशेखर)

सहा0 पर्या0 अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी



मै0 श्री जी ईट उद्योग, खसरा सं0-33 ग्राम- उझयानी बांगर, तहसील- छाता, जनपद-मथुरा की अद्यतन निरीक्षण आख्या।

मा0 राष्ट्रीय हिरत अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-498/2024 "श्रीचन्द बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य" में पारित आदेश दिनांक 06-05-2024 के अनुपालन में संदर्भित ईट भट्टे का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 31.07.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय भट्टा सीजन ऑफ होने के कारण बन्द पाया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा प्रतिनिधि के रूप में श्री राम किशन उपस्थित थे। आख्या निम्नवत् है-

1. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट उद्योग में श्री जी ईट उद्योग, खसरा सं0. 33, ग्राम- उझानी बांगर, तहसील- छाता, जनपद-मथुरा के नाम से वर्ष- 20.08.2009 से स्थापित है।
2. सन्दर्भित ईट भट्टे के जियो कोर्डिनेट अक्षांश- 27.817772 एवं देशांतर- 77.573463 है।
3. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्टे को कार्यालय के पत्रांक-556/एन0ओ0सी0-568/2009 दिनांक-20.08.2009 द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से नवीन ईट भट्टे की स्थापना हेतु सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।
4. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्टे को राज्य बोर्ड के पत्रांक-179336/UPPCB/MATHURA(UPPCBRO)/CTO/both/MATHURA/2023 दिनांक-20.03.2023 द्वारा सशर्त सहमति जल एवं वायु अवधि- 31.07.2027 तक निर्गत है। भट्टे की ईट उत्पादन क्षमता 20000 ईट प्रतिदिन की है।
5. उक्त ईट भट्टा जिग-जैग पद्धति पर स्थापित है। संदर्भित ईट भट्टे पर लगभग 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है जोकि निर्धारित मानको के अनुरूप है। निरीक्षण के समय ईट भट्टे पर ईधन के रूप में बायोमांस (तूरी) एकत्रित पायी गयी।
6. ईट भट्टे पर गाड़ियों के आवागमन से जनित धूल के रोकथाम के लिये पानी के छिड़काव हेतु पानी के टैंकर्स की व्यवस्था की गयी है।
7. ईट भट्टे में स्थापित चिमनी पर वायु अनुश्रवण हेतु पोर्टहॉल, प्लेटफार्म एवं सीढ़ी स्थापित है। ईट भट्टे द्वारा एन0ए0बी0एल0 द्वारा मान्यता प्राप्त, मै0 ईकोबल रिसर्च एंट डेवलपमेंट सेन्टर, गाजियाबाद द्वारा निर्गत चिमनी की स्टैक मोनिट्रिंग रिपोर्ट प्रेषित की गयी है जो मानक के अनुरूप है (संलग्नक-1)।
8. ईट भट्टे से जनित लगभग एक कें0एल0डी0 घरेलू उत्प्रवाह के शुद्धिकरण के हेतु सेप्टिक टैंक/सोकपिट स्थापित किया गया है।
9. ईट भट्टे के परिसर में धूल को कम करने हेतु कुछ जगहों पर ईट के टुकड़े को फर्श पर कच्चे रोड को पक्के रोड में परिवर्तित किया गया है। ईट भट्टे के चारों ओर वृक्षारोपण का कार्य भी पाया गया।

निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

  
शैलशा मौर्य  
अनुश्रवण सहायक

  
चंद्रशेखर  
सहा0 पर्या0 अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी  




Lab and Research Services

**ECOBAL**

## Ecobal Research & Development Centre

(A Division of Ecobal Energy System LLP)  
1st floor, 4/33A, Site - 4, Sahibabad  
Industrial Area, District Ghaziabad,  
Uttar Pradesh - 201001  
Email : [ecoballab@gmail.com](mailto:ecoballab@gmail.com)  
Contact No.: 0120-4483651


### TEST REPORT STACK QUALITY ANALYSIS

Issue of test report	M/s SHREE JI EANT.UDYOG KHASRA NO. 33 UJHANI BANGAR TEHSIL CHHATA DIST. MATHURA, MATHURA 281403	Date of receipt	20/06/2024
		Sample Completion Date	24/06/2024
ULR No.	TCI1604240000048F	Qty of Sample	1
Lab Code	ERDC240620-10	Sample Duration	90 min.
Sample Collected by	Lab Representative	Sample Description	Stack Emission
Analysis Period	20/06/2024 to 24/06/2024	Date of Sample Collection	20/06/2024

#### Sampling Details

Sample drawn on	: 20/06/2024
Sample description	: Stack Emission
Sampling Time	: 90 min.
Sampling Protocol	: As Per CPCB Guideline
Flue gas temperature (°C)	: 70.2
Ambient Temperature (°C)	: 42.8
Source of Emission	: Brick Kiln Stack
Capacity	: 20000 Brick per Day
Type of Fuel used	: Ricehusk/biomass/agriculture residue/pellets/briquettes
Operating load	: Normal
Type of Stack	: Brick kiln with Square shape
Inner Diameter of Stack at Port Hole(m)	: 3.2
Height of stack from ground level (meter)	: 30
Average Velocity of Flue Emission (m/s)	: 3.9
Quantity of Emission discharged (m <sup>3</sup> /hr)	: 383204.1
Equipments used	: Stack Kit

S.No	Parameter	Unit	Result	Permissible Limit as CPCB Guidelines	Test method
1.	Particulate matter (PM)	mg/Nm <sup>3</sup>	228	Max 250	IS 11255(Part-1)
2.	Sulphur Dioxide (as SO <sub>2</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	44	Not Specified	IS 11255(Part-2)
3.	Nitrogen Dioxide(as NO <sub>2</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	92	Not Specified	IS 11255(Part-7)
4.	Carbon monoxide(as Co)	%	0.13	Max 1% By Vol	IS 13270

  
CHECKED BY



  
AUTHORIZED SIGNATORY

#### Notes:

1. The results given above are related to the tested sample, as received & mentioned parameters. The customer asked for the above tests only.
2. Responsibility of the Laboratory is limited to the invoiced amount only.
3. This test report will not be generated again, either wholly or in part, without prior written permission of the laboratory.
4. This test report will not be used for any publicity/legal purpose.
5. The test samples will be disposed off after two weeks from the date of issue of test report, unless until specified by the customer.

(An ISO 9001:2015, ISO 14000:2015, ISO 45000:2018 Certified & NABL Accredited Environment Laboratory),

NABL Accreditation Certificate No. TC-11604

Corporate office: 305, Rishabh Towers, Karkardooma Community Center, Delhi 110092

मै० श्री राम ईट उद्योग, खसरा सं०-26 ग्राम- उझयानी बांगर, तहसील- छाता, जनपद-मथुरा की अद्यतन निरीक्षण आख्या।

मा० राष्ट्रीय हिरत अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-498/2024 'श्रीचन्द बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य' में पारित आदेश दिनांक 06-05-2024 के अनुपालन में संदर्भित ईट भट्टे का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 31-07-2024 को किया गया। निरीक्षण के समय भट्टा सीजन ऑफ होने के कारण बन्द पाया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा प्रतिनिधि के रूप में श्री राजू पार्टनर उपस्थित थे। आख्या निम्नवत् है-

1. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट उद्योग में श्री राम ईट उद्योग, खसरा सं०- 26, ग्राम- उझानी बांगर, तहसील- छाता, जनपद-मथुरा के नाम से वर्ष-2011 से स्थापित है।
2. सन्दर्भित ईट भट्टे के जियो कोर्डिनेट अक्षांश-27.819618 एवं देशांतर- 77.570305 है।
3. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्टे को कार्यालय के पत्रांक-872/एन०ओ०सी०-706/2011 दिनांक-08.11.2021 द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से नवीन ईट भट्टे की स्थापना हेतु सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।
4. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्टे को राज्य बोर्ड के पत्रांक-177558/UPPCB/MATHURA(UPPCBRO)/CTO/both/MATHURA/2023 दिनांक 16.02.2023 द्वारा सशर्त सहमति जल एवं वायु अवधि- 31.07.2026 तक निर्गत है। भट्टे की ईट उत्पादन क्षमता 20000 ईट प्रतिदिन की है।
5. उक्त ईट भट्टा जिग-जैग पद्धति पर स्थापित है। संदर्भित ईट भट्टे पर लगभग 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है जोकि निर्धारित मानको के अनुरूप है। निरीक्षण के समय ईट भट्टे पर ईंधन के रूप में बायोमांस (तूरी) एकत्रित पायी गयी।
6. ईट भट्टे पर गाड़ियों के आवागमन से जनित धूल के शोकथाम के लिये पानी के छिड़काव हेतु पानी के टैंकर्स की व्यवस्था की गयी है।
7. ईट भट्टे में स्थापित चिमनी पर वायु अनुश्रवण हेतु पोर्टहॉल, प्लेटफार्म एवं सीढ़ी स्थापित है। ईट भट्टे द्वारा एन०ए०वी०एल० द्वारा मान्यता प्राप्त, मै० एवर ग्रीन इन्वायरो टेस्टिंग एल०एल०पी० द्वारा निर्गत चिमनी की स्टेक मोनिटरिंग रिपोर्ट प्रेषित की गयी है जो मानक के अनुरूप है (संलग्नक-1)।
8. ईट भट्टे से जनित लगभग एक के०एल०डी० घरेलू उत्प्रावह के शुद्धिकरण के हेतु सेप्टिक टैंक/सोकपिट स्थापित किया गया।
9. ईट भट्टे के परिसर में धूल को कम करने हेतु कुछ जगहों पर ईट के टुकड़े को फर्श पर कच्चे रोड को पक्के रोड में परिवर्तित किया गया है। ईट भट्टे के चारों ओर वृक्षारोपण का कार्य भी पाया गया।

निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

  
(शैलेश मौर्य)  
अनुश्रवण सहायक

  
(चंद्रशेखर)  
सहा०पर्या० अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी



# EVERGREEN ENVIRO TESTING LLP

Address : Plot No. 047, 1st Floor, Block-F, Surajpur, Site-B, Industrial Area, Greater Noida,  
Gautam Buddha Nagar, U.P.- 201306

Ph.: 0120-4959379, 7428487870, Mob.: +91-8010087998, 9643079162, 7982197942

Email ID : evergreenlab03@gmail.com, info@evergreeneclab.com, Website : www.evergreeneclab.com



## TEST REPORT

ISSUED TO	:	M/S SHREE RAM ENT UDHYOG KHASRA NO. 26, VILLAGE- UJHANI BANGAR, TEHSIL- CHHATA, MATHURA, U.P.
Sample Identification No.	:	EETR/E/220624/039
Test Report No & Date	:	EETR/E/220624/039, DATE: 25.06.2024
Sampling Method	:	As per CPCB Norm's
Sample Description	:	Stack Emission
Sample Collection Date	:	21.06.2024
Sample Collected by	:	EET Representative
Date of Sample Receipt	:	22.06.2024
Analysis Duration	:	22.06.2024 To 25.06.2024

## ANALYSIS RESULT

Reference	: EP Act std.
Sampled By	: EET Representative
Name of Plant & Section	: Stack Emission (Brick Kiln)
Emission source Monitored	: Brick Kiln (20,000 brick/day)
Normal Operating Schedule	: As & when required
Type of Chimney (Acc/Metal)	: Brick
Type of Fuel	: Coal, Wood, Agro fuel
Stack Height in Meter from Ground Level (mtr)	: 30
Diameter of Stack mtr	: 4.2
Sampling Duration (min)	: 32
Purpose of Monitoring	: Assessment of Pollution Load
Parameters Monitoring	: PM, Nox, Co, Sox
Stack temperature (-C)	: 294
Ambient Temperature (-C)	: 41.8
Stack Velocity (M/Sec)	: 4.06
Quantity of Emission (Nm <sup>3</sup> /hr)	: 105308.923
APCS Attached	: Zig zag Hydra

S. NO.	PARAMETERS	UNITS	RESULTS	EMISSION LIMITS AS PER CPCB	TEST METHOD
1.	Particulate Matter (PM)	mg/Nm <sup>3</sup>	172	250	IS : 11255(P-1)
2.	Oxides of Nitrogen	mg/Nm <sup>3</sup>	38.76	Not specified	IS : 11255(P-7)
3.	Carbon Monoxide (as CO)	% by Vol.	0.68	1.0	IS : 13270.1992
4.	Sulphur Dioxide	mg/Nm <sup>3</sup>	12.67	Not specified	IS : 11255(P-2)

Checked by  
**SHIVANI PUNDIR**



Evergreen Enviro Testing LLP

\*\*\*End of the Report\*\*\*

Authorized Signatory  
**Chandan Kumar Singh**

Page 1 of 1

- Note : 1. The result listed refer only to be Tested samples and applicable parameters.  
2. Perishable samples will be destroyed after 15 days of sampling.  
3. This report cannot be used as evidence in the court of law and cannot be used in part or full in any media without prior permission.  
4. Subject to Gr. Noida Jurisdiction.

श्री० पटेल भट्टा कम्पनी, खसरा सं०-122 ग्राम- रामपुर बांगर, तहसील- छाता, जनपद-मथुरा की अद्यतन निरीक्षण आख्या।


मा० राष्ट्रीय हिरत अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-498/2024 "श्रीचन्द बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य" में पारित आदेश दिनांक 06-05-2024 के अनुपालन में संदर्भित ईट भट्टे का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 31.07.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय भट्टा सीजन ऑफ होने के कारण बन्द पाया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा प्रतिनिधि के रूप में श्री सोनू पटेल उपस्थित थे। आख्या निम्नवत् है-

1. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट उद्योग में० पटेल भट्टा कम्पनी, खसरा सं० . 122. ग्राम- रामपुर बांगर, तहसील- छाता, जनपद-मथुरा के नाम से वर्ष- 01.07.2009 से स्थापित है।
2. सन्दर्भित ईट भट्टे के जियो कोर्डिनेट अक्षांश- 27.821357 एवं देशांतर- 77.569367 है।
3. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्टे को कार्यालय के पत्रांक-366/एन०ओ०सी०-548/2009 दिनांक-01.07.2009 द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से नवीन ईट भट्टे की स्थापना हेतु सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।
4. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्टे को राज्य बोर्ड के पत्रांक-179243/UPPCB/MATHURA(UPPCBRO)/CTO/both/MATHURA/2023 दिनांक 20.03.2023 द्वारा सशर्त सहमति जल एवं वायु अवधि- 31.07.2025 तक निर्गत है। भट्टे की ईट उत्पादन क्षमता 20000 ईट प्रतिदिन की है।
5. उक्त ईट भट्टा जिग-जैग पद्धति पर स्थापित है। संदर्भित ईट भट्टे पर लगभग 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है जोकि निर्धारित मानको के अनुरूप है। है। निरीक्षण के समय ईट भट्टे पर ईंधन के रूप में बायोमांस (तूरी) एकत्रित पायी गयी।
6. ईट भट्टे पर गाडियो के आवागमन से जनित धूल के रोकथाम के लिये पानी के छिड़काव हेतु पानी के टैंकर्स की व्यवस्था की गयी है।
7. ईट भट्टे में स्थापित चिमनी पर वायु अनुश्रवण हेतु पोर्टहॉल, प्लेटफार्म एवं सीढ़ी स्थापित है। ईट भट्टे द्वारा एन०ए०बी०एल० द्वारा मान्यता प्राप्त, मै० ईकोबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेन्टर, गाजियाबाद द्वारा निर्गत चिमनी की स्टेक मोनिट्रिंग रिपोर्ट प्रेषित की गयी है जो मानक के अनुरूप है (संलग्नक-1)।
8. ईट भट्टे से जनित लगभग एक कें०एल०डी० घरेलू उत्प्रावह के शुद्धिकरण के हेतु सेप्टिक टैंक/सोकपिट स्थापित किया गया।
9. ईट भट्टे के परिसर में धूल को कम करने हेतु कुछ जगहों पर ईट के टुकड़े को फर्श पर कच्चे रोड को पक्के रोड में परिवर्तित किया गया है। ईट भट्टे के चारों ओर वृक्षारोपण का कार्य भी पाया गया।

निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

  
शैलेश मौर्य  
अनुश्रवण सहायक

  
चंद्रशेखर  
सहा० पर्या० अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी  


**TEST REPORT  
STACK QUALITY ANALYSIS**


Issue of test report	M/s PATEL BHATTA COMPANY KHASRA NO.122 VILLAGE RAMPUR BANGER TEHSIL CHHATA DIST. MATHURA, MATHURA 281403	Date of receipt	20/06/2024
		Sample Completion Date	24/06/2024
ULR No.	TCI1604240000049F	Qty of Sample	1
Lab Code	ERDC240620-11	Sample Duration	90 min.
Sample Collected by	Lab Representative	Sample Description	Stack Emission
Analysis Period	20/06/2024 to 24/06/2024	Date of Sample Collection	20/06/2024

**Sampling Details**


Sample drawn on	: 20/06/2024
Sample description	: Stack Emission
Sampling Time	: 90 min.
Sampling Protocol	: As Per CPCB Guideline
Flue gas temperature (°C)	: 72.2
Ambient Temperature (°C)	: 43.2
Source of Emission	: Brick Kiln Stack
Capacity	: 20000 Brick per Day
Type of Fuel used	: Ricehusk/biomass/agriculture residue/pellets/briquettes/Coal
Operating load	: Normal
Type of Stack	: Brick kiln with Square shape
Inner Diameter of Stack at Port Hole(m)	: 3.2
Height of stack from ground level (meter)	: 30
Average Velocity of Flue Emission (m/s)	: 3.8
Quantity of Emission discharged (m <sup>3</sup> /hr)	: 383193.6
Equipments used	: Stack Kit

S.no	Parameter	Unit	Result	Permissible Limit as CPCB Guidelines	Test method
1.	Particulate matter (PM)	mg/Nm <sup>3</sup>	230	Max 250	IS 11255(Part-1)
2.	Sulphur Dioxide (as SO <sub>2</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	46	Not Specified	IS 11255(Part-2)
3.	Nitrogen Dioxide(as NO <sub>2</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	94	Not Specified	IS 11255(Part-7)
4.	Carbon monoxide(as CO)	%	0.13	Max 1% By Vol	IS 13270

\*\*\* End of Report \*\*\*

  
CHECKED BY



  
AUTHORIZED SIGNATORY

**Notes:**

1. The results given above are related to the tested sample, as received & mentioned parameters. The customer asked for the above tests only.
2. Responsibility of the Laboratory is limited to the invoiced amount only.
3. This test report will not be generated again, either wholly or in part, without prior written permission of the laboratory.
4. This test report will not be used for any publicity/legal purpose.
5. The test samples will be disposed off after two weeks from the date of issue of test report, unless until specified by the customer.